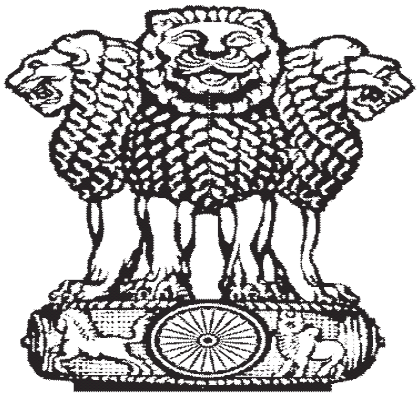

सत्यमेव जयते

विदेश व्यापार नीति

[1 अप्रैल, 2015 – 31 मार्च, 2020]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

निर्मला सीतारमण
NIRMALA SITHARAMAN

सत्यमेव जयते

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत
MINISTER OF STATE (Independent Charge)
COMMERCE & INDUSTRY
INDIA

प्रस्तावना

नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति, 2015-20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" सपने के अनुरूप, देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में वृद्धि करने के लिए एक रूपरेखा की योजना है। 'व्यापार करने की सुविधा' में सुधार लाने पर विशेष बल के साथ विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने पर सरकार का ध्यान केन्द्रित है।

भारत को विकसित करने तथा विश्व के शेष देशों के साथ समीकरण बनाने के लिए अनेक शक्तियां हैं। ये चुनौतियां उत्पन्न करती हैं किन्तु सरकार, व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए अवसर प्रदान करती है। सरकार और उद्योग जगत को इन दोनों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।

इस विदेश व्यापार नीति के साथ एक विस्तृत विदेश व्यापार नीति विवरण भी जारी किया जा रहा है। विदेश व्यापार नीति विवरण में हमारी विदेश व्यापार नीति को मजबूती प्रदान करते हुए दूरदर्शिता, लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है तथा आगामी वर्षों में भारत के विश्वव्यापी व्यापार समझौते के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें व्यापार संवर्धन, अवसंरचना विकास तथा व्यापार वाता वरण पद्धति के लिए आवश्यक बाजार और उत्पाद कार्यनीति तथा उपायों का वर्णन है। इसे विश्वव्यापी एवं स्वदेशी संदर्भों के ध्यान पूर्वक मूल्यांकन के बाद तैयार किया गया है और यह तेजी से उभर रही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना के साथ कदम मिलाते हुए बाहरी परिवेश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है तथा सबसे महत्वपूर्ण व्यापार को देश की आर्थिक प्रगति और विकास में प्रमुख योगदान देती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करते रहेंगे।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 में पहले की बहुत सारी स्कीमों के स्थान पर पात्रता और प्रयोग की विभिन्न शर्तों के साथ दो नई स्कीमें नामतः भारत स्कीम से वाणिज्यिक निर्यात (एमईआईएस), विनिर्दिष्ट बाजारों के लिए विनिर्दिष्ट माल हेतु और भारत स्कीम से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस), अधिसूचित बाजारों का निर्यात बढ़ाने के लिए, शुरू की हैं। इन स्कीमों के तहत जारी किसी भी स्क्रिप के लिए कोई शर्त नहीं है। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स और इन स्क्रिप्स के अधीन आयातित माल पूर्णतया

निर्मला सीतारमण
NIRMALA SITHARAMAN

सत्यमेव जयते

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत
MINISTER OF STATE (Independent Charge)
COMMERCE & INDUSTRY
INDIA

हस्तातंरणीय है। ईपीसीजी के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व को सामान्य निर्यात दायित्व के 75 प्रतिशत तक कम करते हुए स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की प्राप्ति को सुगम बनाने के उपाय किए गए हैं। इससे घरेलू पूंजीगत माल विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय और वैश्विक दोनों में खपत के लिए अपनी उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा एवं उच्च-प्रौद्योगिकी मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं। इसी समय कूरियर अथवा विदेशी डाकघर के माध्यम से हथकरघा उत्पादों, पुस्तकों/नियतकालिक पत्रिकाओं, चमड़ा फुटवेयर, खिलौने और विशिष्ट रूप से निर्मित गारमेंट्स का ई-कॉमर्स निर्यात एमईआईएस के लिए लाभ (25,000 भारतीय रुपयों के मूल्य तक) प्राप्त करने का हकदार होगा। इससे इन क्षेत्रों में न केवल हमारी ताकत में वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेंगे अपितु इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

यद्यपि एसईजेड से निर्यात में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है, जो कि देश की समग्र निर्यात वृद्धि से महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षाकृत अधिक है, हाल ही में ये विविध चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एसईजैड से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि दोनों प्रतिफल स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) के लाभों को एसईजैड में अवस्थित यूनिटों के लिए विस्तारित किया जाए। इससे विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण और उपयोगी रोजगार दोनों की दृष्टि से लाभ मिलेगा।

विदेश व्यापार नीति में कारोबार सरलीकरण और व्यापार करने में सुविधा की बढ़ोतरी प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। कागज रहित प्रक्रियाओं की दिशा में कदम बढ़ाने का हमारा प्रयास और वचनबद्धता रही है। हाल ही में हमने निर्यात और आयात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या को घटाकर तीन कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के समतुल्य है। अब निर्यातक/आयातक प्रोफाइल में दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु सुविधा शुरू की गई है जिससे निर्यातकों को बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न 'आयात निर्यात' प्रपत्रों को सरल बनाने पर ध्यान दिया गया है और विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाई गई है, अस्पष्टताओं को दूर किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन का संवर्धन किया गया है।

विनिर्माता जो स्तरधारक भी हैं, को कई चरणों में उनके विनिर्मित माल के भारत से उद्गम होने के रूप में स्वप्रमाणन हेतु समर्थ बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के विभिन्न रूपों के तहत तरजीही

निर्मला सीतारमण
NIRMALA SITHARAMAN

सत्यमेव जयते

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत
MINISTER OF STATE (Independent Charge)
COMMERCE & INDUSTRY
INDIA

व्यवहार हेतु अर्हता प्राप्त करना है। इस "अनुमोदित निर्यातक प्रणाली" से इन विनिर्माता निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुँच बनाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

100 प्रतिशत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी स्कीमों के तहत विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में इन यूनिटों के लिए फास्ट ट्रैक निकासी सुविधा, उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधाओं को साझा करने की अनुमति, अंतर यूनिट माल एवं सेवाओं के अंतरण की अनुमति, उन्हें निर्यात पत्तन के निकट भांडागारों की स्थापना हेतु अनुमति और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए शुल्क मुक्त उपकरण का उपयोग करना शामिल हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय 'निर्यात बंधु स्कीम' के जरिए नए और सामान्य निर्यातकों को परामर्श देना जारी रखेगा। इस स्कीम को 'स्किल इंडिया' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ बनाया गया है और इसमें परिवर्तन किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन में छोटे और मध्यम पैमाने के उद्यमों के सामरिक महत्व को देखते हुए 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के समूहों' की पहचान उत्पाद की निर्यात संभावनाओं और निर्यात बढ़ाने हेतु केन्द्रित मध्यस्थता के लिए समूह में उद्योगों के घनत्व के आधार पर की गई है। निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य इच्छुक "उद्योग सहभागियों" एवं "जानकार सहभागियों" की सहायता से इन समूहों की आउटरीच गतिविधियों को रचनात्मक तरीके से संगठित किया जायेगा। यह खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

मुझे यह विश्वास है कि यह पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति, 2015-20, भारत देश को विदेशी व्यापार परिवेश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी और भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगले स्तर पर ले जायेगी।

(निर्मला सीतारमण)

भारत के राजपत्र असाधारण

भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 01/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2015

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 को अधिसूचित करती है। यह नीति 01.04.2015 से प्रभावी होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति 2015–2020 को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/94/180/332/एएम15/पीसी–4 से जारी]

विषय वस्तु

अध्याय- 1

विविध ढांचा और व्यापार सरलीकरण 10

क विधिक ढांचा 10

1.00 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का विधिक आधार

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि 10

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन 10

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं 10
आयात निर्यात प्रपत्र (एएएनएफ) 10

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान 11

1.05 परिवर्ती व्यवस्था 11

ख. व्यापार सरलीकरण एवं व्यापार करने की सुगमता 11

1.06 उद्देश्य 11

1.07 डीजीएफटी निर्यात/ आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में 11

1.08 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए समर्थन 12
(हैन्ड होल्डिंग) स्कीम

1.09 नागरिक चार्टर 12

1.10 आनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली 12

1.11 ई-आईईसी (इलेक्ट्रानिक-आयात निर्यातक कोड) जारी करना 13

1.12 ई-बीआरसी 13

1.13 ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु राज्य सरकारों 13
के साथ समझौता ज्ञापन

1.14 निर्यातक आयातक प्रोफाइल 13

1.15 निर्यात और आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कमी 14

1.16 आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा 14

1.17 ऑनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श 14

1.18 सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार 15
द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा

1.19 इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) 15

1.20 सामुदायिक सहभागियों के साथ संदेश विनिमयता 15

(क) सीमाशुल्क विभाग के साथ संदेश विनिमयता 15

(ख) ईबिज (https://www.ebiz.gov.in) के साथ संदेश आदान-प्रदान 15

(ग) बैंकों के साथ संदेश आदान प्रदान 16

(घ) ईपीसी के साथ संदेश विनिमयता 16

1.21 तीसरा पक्ष एपीआई के विकास को बढ़ावा देना 16

1.22 आगामी ई-गवर्नेन्स की पहल 16

1.23 निर्यात खेप हेतु निर्मुक्त रास्ता 17

1.24 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं 17

1.25	24X7 सीमाशुल्क निकासी	17
1.26	सीमाशुल्क कार्यालय में एकल खिड़की	17
1.27	सीमाशुल्क का स्वयं आकलन	18
1.28	प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम	18
1.29	पोत लदान बिलों की पूर्व फाइलिंग की सुविधा	19
1.30	शुल्क वापसी हेतु निर्यात सामान्य घोषणा (ईजीएम) फाइल करने में विलंब को कम करना	19
1.31	विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु दी जाने वाली साझा बांड/एलयूटी की सुविधा	19
1.32	विदेश से प्राप्त सेवाओं पर लगने वाले सेवा कर से छूट	19
1.33	खराब होने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात	19
1.34	समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस)	20
1.35	निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई)	20
1.36	व्यापार आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता	21

अध्याय-2

	आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान	22
2.00	उद्देश्य	22
2.01	आयात एवं निर्यात 'मुक्त' जब तक कि विनियमित न किया जाए	22
2.02	निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)]	22
2.03	स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन	23
2.04	प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकार आयात-निर्यातक कोड/ई-आईईसी	23
2.05	**आयात निर्यात कोड (आईईसी)**	23
2.06	भारत से/में माल के निर्यात/आयात हेतु अनिवार्य दस्तावेज	25
2.07	प्रतिबंधों के सिद्धांत	26
2.08	प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात	26
2.09	स्कोमेट मदों का निर्यात	26
2.10	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	26
2.11	प्राधिकार पत्र की शर्तें	27
2.12	आवेदन शुल्क	27
2.13	प्राधिकार पत्र के अधीन सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी	27
2.14	प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है	27
2.15	दंडात्मक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना निषेध (विशिष्ट देश और उत्पाद)	28
	प्रतिबंध (देश और उत्पाद)	29
2.16	इराक से/वर्ग 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात	29

	और निर्यात पर निषेध	
2.17	कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध	29
2.18	ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध	29
2.19	सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक	30
	राज्य व्यापार उद्यमों के द्वारा आयात/निर्यात	30
2.20	राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)	30
	विशिष्ट देशों के साथ व्यापार	31
2.21	पड़ोसी देशों के साथ व्यापार	31
2.22	माल लाने-ले-जाने की सुविधा	31
2.23	ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार	31
	माल की विशिष्ट श्रेणियों का आयात	
2.24	नमूनों का आयात	31
2.25	उपहारों का आयात	31
2.26	यात्री असबाब	31
2.27	विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात	32
2.28	विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात	32
2.29	प्रोटोटाइप्स का आयात	32
2.30	कुरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात	32
	पुरानी वस्तुओं के लिए आयात नीति	33
2.31	पुरानी वस्तुएं	33
	धात्विक छीजन और स्क्रैप की आयात नीति	33
2.32	धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात	33
2.33	एसईजेड से स्क्रैप/छीजन को हटाना	34
	आयात से संबंधित अन्य प्रावधान	34
2.34	पट्टा वित्त प्रबंध के अधीन आयात	34
2.35	विधिक वचनबद्धता (एलयूटी) बैंक गारंटी (बीजी) का निष्पादन	34
2.36	आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बॉन्डेड गोदाम	34
2.37	खालों, चमड़ों और अर्धनिर्मित वस्तुओं हेतु विशेष प्रावधान	35
2.38	महासमुद्र में बिक्री	35
	निर्यात	35
2.39	मुक्त निर्यात	35
2.40	माल और सेवाओं के निर्यात पर डीटीए में सेवा कर की वापसी/छूट	35
2.41	सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ	35
2.42	तीसरा पक्ष निर्यात	36
	विशिष्ट श्रेणियों का निर्यात	36
2.43	नमूनों का निर्यात	36
2.44	उपहारों का निर्यात	36
2.45	यात्री असबाब का निर्यात	36
2.46	निर्यात हेतु आयात	36

2.47	कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात	38
2.48	प्रतिस्थापन माल का निर्यात	38
2.49	मरम्मत किए गए माल का निर्यात	38
2.50	अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात	38
2.51	निर्यात के लिए निजी बॉण्डेड गोदाम	39
	आयात/निर्यात पर भुगतान और प्राप्ति	39
2.52	निर्यात संविदाओं का कोटिकरण	39
2.53	ईरान को निर्यात- विदेश व्यापार नीति के लाभों/प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनने के लिए भारतीय रुपयों में वसूली	39
2.54	निर्यात आय की गैर-वसूली	40
	निर्यात संवर्धन परिषदें	
2.55	आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।	40
2.56	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	41
	नीतिगत व्याख्या और छूट	41
2.57	नीतिगत व्याख्या	41
2.58	नीति/प्रक्रिया से छूट	42
2.59	शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई	42
2.60	बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान	43
	उद्गम होने वाले माल का स्व-प्रमाणन	43
2.61	उद्गम के प्रमाण पत्र पर स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम	43

अध्याय - 3 45

भारतीय योजनाओं के तहत निर्यात 45

3.00	उद्देश्य	45
3.01	भारतीय योजनाओं के तहत निर्यात	45
3.02	प्रोत्साहनों की प्रकृति	45
	भारतीय योजना (एमईआईएस) से वाणिज्य वस्तु निर्यात	45
3.03	उद्देश्य	45
3.04	एमईआईएस के अंतर्गत पात्रता	46
3.05	कूरियर और ई-कॉमर्स प्रयोग करने वाले विदेशी डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात	46
3.06	एमईआईएस के अंतर्गत अयोग्य श्रेणियाँ	46
	भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसईआईएस)	47
3.07	उद्देश्य	47
3.08	पात्रता	47
3.09	एसईआईएस के तहत आयात श्रेणियाँ	48

3.10	एसईआईएस के तहत हकदारी	49
3.11	एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों द्वारा पारेषण	49
3.12	स्कीमों (एमईआईएस तथा एसईआईएस) की प्रभावकारी तिथि	49
3.13	विशेष प्रावधान	50
	भारत की स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) से निर्यात के लिए सामान्य प्रावधान	50
3.14	माध्यमिक व्यवस्था	50
3.15	सेनवैट/शुल्क वापसी	50
3.16	पट्टा वित्तपोषण के अंतर्गत आयात	51
3.17	निर्यात निष्पादन का अंतरण	51
3.18	निर्यात दायित्व चूक तथा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से शुल्क के मामले मे सीमाशुल्क के भुगतान की सुविधा	51
3.19	आपदा प्रबंधन प्रणाली	51
3.20	स्तर धारक	52
3.21	स्तर श्रेणी	53
3.22	दोहरा महत्व प्रदान करना	53
3.23	स्तर प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें	53
3.24	स्तर धारकों के विशेषाधिकार	54
	अध्याय- 4	56
	शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम	56
4.00	उद्देश्य	56
4.01	स्कीम	56
4.02	नीति और प्रक्रिया की अनुप्रयोज्यता	56
4.03	अग्रिम प्राधिकार पत्र	56
4.04	मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र	57
4.05	पात्र आवेदक/निर्यात/आपूर्ति	57
4.06	वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र	57
4.07	वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त	58
4.08	मूल्यवर्धन	58
4.09	न्यूनतम मूल्यवर्धन	58
4.10	अनिवार्य पुर्जो का आयात	58
4.11	स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ	59
4.12	निविष्टियों की गणना	59
4.13	कतिपय मामलों में आयात-पूर्व शर्त	60
4.14	छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा	60
4.15	शुल्क वापसी की स्वीकार्यता	60
4.16	अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	61

4.17	आयात के लिए वैधता अवधि	61
4.18	निषिद्ध/प्रतिबंधित/राज्य व्यापार उद्यम मदों के आयात/निर्यात की पात्रता	61
4.19	विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति	62
4.20	निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति	62
4.21	निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा	63
4.22	निर्यात दायित्व	63
4.23	बीआईएफआर/पुर्नवास के अंतर्गत आने वाली इकाई हेतु निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में विस्तार	64
4.24	शुल्क मुक्त/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात माल का पुनः आयात	64
	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम	
4.25	डीएफआईए स्कीम	65
4.26	छूट दिए जाने वाले शुल्क और सेनवैट और शुल्क वापसी की ग्राह्यता	65
4.27	पात्रता	65
4.28	न्यूनतम मूल्य संवर्धन	66
4.29	डीएफआईए की वैधता एवं अंतरण	66
4.30	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें	67
	रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम	67
4.31	निविष्टि का आयात	67
4.32	निर्यात की मदें	67
4.33	योजनाएं	68
4.34	नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/प्रतिपूर्ति	68
4.35	रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र	68
4.36	उपभोज्यों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र	68
4.37	कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र	69
4.38	मूल्यवर्धन	69
4.39	छीजन मानदंड	70
4.40	डीएफआईए की अनुपलब्धता	70
4.41	नामित एजेंसियाँ	70
4.42	प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात	70
4.43	कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात	71
4.44	शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात	71
4.45	विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात	71
4.46	निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात	72
4.47	निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना	72
4.48	डाक द्वारा निर्यात	72
4.49	निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम	72
4.50	हीरे और जवाहरात संबंधी डॉलर खाते	72

4.51	परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात	72
4.52	अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात	72
4.53	खेप आधार पर निर्यात और आयात	72

अध्याय- 5 .....

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम 74

5.0	उद्देश्य	74
5.01	शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम	74
5.02	कवरेज	75
5.03	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	76
5.04	निर्यात दायित्व(ईओ)	76
5.05	बीआईएफआर/पुनर्वास के तहत यूनिटों के लिए प्रावधान	77
5.06	कृषि इकाइयों के मामले में एलयूटी/बॉण्ड/बीजा	77
5.07	स्वदेशी रुप से पूंजीगत माल प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ	77
5.08	निर्यात दायित्व की गणना	77
5.09	समय से पहले निर्यात दायित्व पूरा करने हेतु प्रोत्साहन	78
5.10	हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व	78
5.11	उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व	78
5.12	पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स)	78

अध्याय- 6 .....

निर्यातोन्मुखी यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) और बॉयो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) 80

6.00	भूमिका और उद्देश्य	80
6.01	माल का निर्यात तथा आयात	80
6.02	पुराना पूंजीगत माल	82
6.03	पूंजीगत माल के पट्टे	82
6.04	निवल विदेशी मुद्रा अर्जन	83
6.05	अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धताः	83
6.06	पूँजी निवेश मानदण्ड	84
6.07	आवेदन और अनुमोदन	84
6.08	तैयार उत्पाद/ अस्वीकृत माल/ अपशिष्ट/ स्क्रैप/ शेष और उप-उत्पाद की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री	84
6.09	अन्य आपूर्तियां	87
6.10	अन्यों के माध्यम से निर्यात	88
6.11	डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी	88

6.12	अन्य हकदारियाँ	89
6.13	अन्तर यूनिट हस्तांतरण	90
6.14	उप-ठेके	91
6.15	प्रयोग न किए गए माल की बिक्री	92
6.16	रिंकडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना	93
6.17	आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत	93
6.18	ईओयू योजना से बहिर्गमन	94
6.19	परिवर्तन	95
6.20	एन एफ ई की निगरानी	95
6.21	प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/ विदेश में शो-रुमों/ शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात	95
6.22	आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है	96
6.23	डाक/कूरियर द्वारा निर्यात/आयात	96
6.24	ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्तियाँ	96
6.25	रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान	96
6.26	ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन	96
6.27	बी टी पी का अनुमोदन	97
6.28	गोदान सुविधा	97

अध्याय- 7 .....

मान्य निर्यात 98

7.00	उद्देश्य	98
7.01	मान्य निर्यात	98
7.02	आपूर्ति की श्रेणियाँ	98
7.03	मान्य निर्यात के लिए लाभ	100
7.04	आपूर्तिकर्त्ता/प्राप्तकर्त्ता का लाभ	100
7.05	अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी/ड्राबैक के लिए शर्त	101
7.06	मान्य निर्यात वापसी के लिए शर्तें	102
7.07	मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें	102
7.08	विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ	103
7.09	ब्याज का दायित्व	103
7.10	जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र	103
7.11	दण्डनीय कार्रवाई	104

अध्याय- 8 .....

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद 105

8.00	उद्देश्य	105
8.01	गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद	105

8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व 105
8.03 चूककर्ता निर्यातकों/ आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली में प्रावधान 106
8.04 शिकायतों/विवादों की निगरानी हेतु तंत्र 106
8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्रवाई 107
8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया 107
8.07 सुधारात्मक उपाय 107
8.08 नोडल अधिकारी 107

अध्याय - 9.....
परिभाषा 108

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर) 118
संक्षिप्त अक्षर पूर्णाक्षर 118

अध्याय - 1

विधिक ढाँचा और व्यापार सरलीकरण

क. विधिक ढाँचा

1.00 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का विधिक आधार

विदेश व्यापार नीति 2015-20 को, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) [एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम] की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि

यह विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, अधिसूचना की तारीख से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। अधिसूचना की तारीख तक किए गए सभी निर्यात तथा आयात विदेश व्यापार नीति 2009-14 द्वारा तदनुसार शासित होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन

केन्द्र सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित जनहित में जारी अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार रखती है।

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (एएएनएफ):

महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों में दिए गए प्रयोजनों के लिए, निर्यातक या आयातक या किसी लाइसेंसिंग/ क्षेत्रीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र सहित प्रक्रिया पुस्तक अथवा उससे संबंधित संशोधन को सार्वजनिक सूचना के द्वारा अधिसूचित कर सकते हैं।

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान

जहॉ विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में होगा, वहाँ यह सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण होगा।

1.05 परिवर्ती व्यवस्था

(क) विदेश व्यापार नीति 2015-20 लागू होने से पहले कोई भी लाइसेंस/ प्राधिकरण/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय सहायता या वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ के साधन ऐसे लाइसेंस/प्राधिकरण/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय या राजकोषीय लाभ निर्गमित प्राधिकार पत्र के प्रयोजन और अवधि के लिए वैध रहेंगे जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो।

(ख) यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रुप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। यह इस शर्त के अधीन है कि निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व लागू अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो और यह अपरिवर्तनीय साख-पत्र की उपलब्ध शेष मूल्य और मात्रा तथा समयावधि तक सीमित हो। ऐसे अपरिवर्तनीय साख-पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबन्ध या विनियम के लागू होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आर.ए.) के पास साख पत्र का पंजीकरण कराना होगा।

ख. व्यापार सरलीकरण एवं व्यापार करने की सुगमता

1.06 उद्देश्य

सौदा लागत को कम करने और समय में कटौती करने हेतु व्यापार सरलीकरण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसके द्वारा भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है। व्यापार सरलीकरण की दिशा में विदेश व्यापार नीति के विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा किए गए उपायों को इस अध्याय में आयात और निर्यात व्यापार के हितधारियों के लाभ हेतु समेकित किया गया है।

1.07 डीजीएफटी निर्यात/ आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में

डीजीएफटी निर्यात और आयात के सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। अच्छे अभिशासन पर फोकस है जो दक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार सुपुर्दगी प्रणाली पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आसान बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय

विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा व्यापार तथा उद्योग निकायों के साथ समय-समय पर परामर्श करता है।

1.08 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए समर्थन (हैन्ड होल्डिंग) स्कीम

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय परामर्श, प्रशिक्षण और आउट-रीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं के बारे में नए और संभावित निर्यातक को परामर्श देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) विनिर्माण क्षेत्र में और रोजगार सृजन में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के कार्यनीतिक महत्व पर विचार करते हुए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संकेन्द्रित हस्तक्षेप के लिए क्लस्टर में उत्पाद की निर्यात संभावना तथा उद्योगों की सघनता के आधार पर 'एमएसएमई कलस्टरों' को चिन्हित किया गया है।

(ग) निर्यात बंधु स्कीम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु 'उद्योग साझेदारों' के रूप में निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के अन्य इच्छुक 'ज्ञान साझेदारों' की सहायता से आउटरीच कार्यकलाप सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सीमाशुल्क, ईसीजीसी, बैंक तथा संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हित धारकों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएंगे।

1.09 नागरिक चार्टर

डीजीएफटी में समुचित नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सारणी दी गई है।

1.10 आनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली

डीजीएफटी के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा अन्य ईडीआई से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक ईडीआई सहायता डेस्क उपलब्ध है। सहायता प्राप्त करने के लिए dgftedi@nic.in पर ई मेल भेजा जा सकता है अथवा टाल फ्री नम्बर 1800111550 का उपयोग किया जा सकता है। डीजीएफटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों (विवरण http://dgft.gov.in पर उपलब्ध है) में भी सहायता डेस्क की सुविधा प्रदान की जाती है। आनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा निगरानी प्रणाली से प्रयोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने तथा आनलाइन स्थिति का पता लगाने/उत्तर प्राप्त करने (विवरण http://dgft.gov.in पर उपलब्ध है) की अनुमति है।

1.11 ई-आईईसी (इलेक्ट्रानिक-आयात निर्यातक कोड) जारी करना

(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। ई-आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी की वेबसाइट (http//:www.dgft.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रासेसिंग की जाएगी तथा सामान्यतः दो कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-आईईसी जारी/ईमेल किया जाएगा।

(ग) यदि आवेदन अपूर्ण है या अन्यथा अपात्र है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा आवेदक को अस्वीकृति पत्र/ईमेल (अस्वीकृत के कारणों के साथ) भेजा जाएगा।

(घ) ई-आईईसी जारी करने हेतु आवेदन ईबिज प्लैटफार्म (https://www.ebiz.gov.in) पर भी किया जा सकता है।

1.12 ई-बीआरसी

डीजीएफटी द्वारा ई-बीआरसी (इलेक्ट्रानिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) परियोजना प्रारंभ करना तथा इसका सफलता से कार्यान्वयन करना हाल ही में की गई प्रमुख पहल है। इससे डीजीएफटी सुरक्षित इलेक्ट्रानिक तरीके से सीधा बैंकों से निर्यात आय की प्राप्ति का विवरण प्राप्त कर सकता है। इससे विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के हितधारियों के साथ बिना किसी वास्तविक विचार विमर्श के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया गया है। इस प्रणाली में अभी तक एक करोड़ से अधिक ई-बीआरसी प्रारंभ किए गए हैं।

1.13 ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

राज्य सरकारों के साथ ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे राज्य सरकारों द्वारा निर्यातकों को वैट की वापसी को सुविधाजनक किया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.14 निर्यातक आयातक प्रोफाइल

निर्यातक आयातक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया तैयार की गई है। अपलोड कर दिए जाने के बाद इन दस्तावेजों/दस्तावेजों की प्रतियों को प्रत्येक आवेदन के साथ बार-बार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उद्देश्य सौदा लागत और समय में कमी लाना तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय में विभिन्न आवेदनों की कागज रहित प्रॉसेसिंग की ओर कदम बढ़ाना है।

1.15 निर्यात और आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कमी

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.06 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार भारत से/में माल के निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या घटाकर प्रत्येक के लिए तीन कर दी गई है।

1.16 आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा

डीजीएफटी के 36 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और 2 विस्तार केन्द्रों का नेटवर्क उच्च स्पीड इंटरनेट के साथ किया गया है। आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त और प्रक्रियाबद्ध किया जाता है। डीजीएफटी ने ईडीआई पहल के तहत आयातक/निर्यातक कोड और विभिन्न प्राधिकार पत्र/स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा प्रदान की है। डीजीएफटी भारत के पहला डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित भारत सरकार के विभागों में से है जिसने एन्क्रिप्टेड 2048 बिट के उच्च स्तर का डिजिटल हस्ताक्षर शुरू किया है। डीजीएफटी वेबसाइट (http://dgft.gov.in) पर जाने के पश्चात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु वेब इंटरफेस है। निर्यातक/सीएचए द्वारा घर अथवा कार्यालय में बैठे-बैठे 24 x 7 वातावरण में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी संबद्ध बैंकों से किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट कार्डों के द्वारा भी गतान की अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदनों पर डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर किए जाते हैं और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद इनकी प्रक्रिया क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर में की जाती है और प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन ने वास्तविक अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) को न्यूनतम कर दिया है।

1.17 ऑनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

इस समय निर्यातकों को आईकान ई-काम के तहत डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे तकनीकी विनिर्देशन, साहित्यिक सामग्री आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन का विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहरयुक्त प्रिन्ट-आउट प्रस्तुत करना होता है। अब (क) मानदंड समितियों द्वारा अग्रिम प्राधिकार के तहत मानदण्डों के निर्धारण (ख) प्रतिबंधित मदों के निर्यात (ग) प्रतिबंधित मदों के आयात (घ) स्कोमेट के संबंध में ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में पीडीएफ/जेपीजी/जेपीईजी/जीआईएफ फार्मेट में तकनीकी विनिर्देशनों, साहित्यिक सामग्री आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्यातकों को वास्तुकला रेखाचित्र, मशीन रेखाचित्र जिसे स्कैन और अपलोड करना कठिन हो सकता है, को छोड़कर आवेदन की हार्ड कापी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। आवेदनों को भी ऑनलाइन ही प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

1.18 सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा

कागज रहित प्रक्रिया की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। आरंभ में यह सुविधा अध्याय-3 के तहत भारत से निर्यात स्कीम के लिए तैयार की जाएगी। ऐसे दस्तावेजों जैसे एएनएफ 3ख, एएनएफ 3ग और एएनएफ 3घ में संलग्न अनुलग्नक जिन्हें वर्तमान मे इन हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, को इस प्रक्रिया से सरल बनाया जा सकता है। ऐसी सुविधा के तैयार होने के बाद निर्यातक डिजिटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नक को अपने ऑनलाइन आवेदन से सम्बद्ध कर सकता है। अग्रिम प्राधिकार, डीएफआईए और ईपीसीजी जैसी अन्य स्कीमों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इन सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा सकता है।

1.19 इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई)

डीजीएफटी ने निर्यात सुविधा प्रदान करने और अच्छे अभिशासन के प्रयोजन हेतु सुदृढ़ ईडीआई प्रणाली लागू की है। डीजीएफटी के पास अन्य प्रशासनिक विभागों नामतः सीमाशुल्क, बैंक और ईपीसी के साथ स्थापित आयात और निर्यात प्राधिकरणों सहित विभिन्न दस्तावेजीकरण संबंधी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित ईडीआई संदेश आदान-प्रदान प्रणाली पहले से ही है। इससे सरकारी विभागों के साथ निर्यातकों और आयातकों के वास्तविक अंतरापृष्ठ में कमी आई है और सौदा लागत में कमी की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपाय है। डीजीएफटी का प्रयास ईडीआई के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे कि भागीदार विभागों के साथ एकीकरण का उच्च स्तर हासिल किया जा सके।

1.20 सामुदायिक सहभागियों के साथ संदेश विनिमयता

संदेश विनिमयता हेतु सीमाशुल्क विभाग, बैंक, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) डीजीएफटी के प्रमुख सामुदायिक सहभागी हैं। एक कुशल संदेश विनिमय प्रणाली विभिन्न सामुदायिक सहभागियों के साथ सुचारू रूप से कार्य करती है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(क) सीमाशुल्क विभाग के साथ संदेश विनिमयता

(i) आयातक निर्यातक कोड सं.।

(ii) डीएफआईए, एए, ईपीसीजी हेतु प्राधिकार पत्र/स्क्रिप।

(iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए), निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) प्रोत्साहन स्क्रिपों हेतु पोतलदान बिल।

(ख) ईबिज (https://www.ebiz.gov.in) के साथ संदेश आदान-प्रदान

(i) आयातक निर्यातक कोड संख्या के लिए आवेदन

(ii) ई-आईईसी के लिए आवेदन

(ग) बैंकों के साथ संदेश आदान प्रदान

(i) आवेदन शुल्क

(ii) इलेक्ट्रानिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) आंकड़े।

(घ) ईपीसी के साथ संदेश विनिमयता

पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) आंकड़े

1.21 तीसरा पक्ष एपीआई के विकास को बढ़ावा देना

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ताओं को डीजीएफटी के साथ सम्पर्क करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश करने हेतु अपनी प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु तीसरा पक्ष साफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देगा।

1.22 आगामी ई-गवर्नेन्स की पहल

डीजीएफटी वर्तमान में निम्नलिखित ईडीआई पहलों पर कार्य कर रहा हैः

(i) डीजीएफटी से सीमाशुल्क विभाग को निर्यात प्रोत्साहन स्क्रिपों के प्रसार हेतु संदेश करना।

(ii) सीमाशुल्क विभाग से डीजीएफटी प्रविष्टि बिलों के प्रेषण के लिए संदेश का आदान-प्रदान करना।

(iii) निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र (ईओडीसी) को आनलाइन जारी करना।

(iv) सीआईएन और डीआईएन हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।

(v) पैन हेतु सीबीडीटी के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।

(vi) विदेश व्यापार नीति के तहत आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान स्वीकार करना

(vii) ई-आईईसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खुला एपीआई

(viii) विदेश व्यापार नीति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

1.23 निर्यात खेप हेतु निर्मुक्त रास्ता

केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु वस्तुओं की खेप को किसी कारण से रोका/विलंब नहीं किया जाएगा। किसी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण निर्यातक से वचनबद्धता प्राप्त करके उस खेप को जारी कर सकता है।

1.24 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं

किसी अभिकरण द्वारा कोई जब्ती नहीं की जाएगी जिससे विनिर्माण कार्यकलाप और निर्यात की सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि अवरूद्ध न हो। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में संबंधित अभिकरण प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकता है। तथापि, ऐसे जब्त सामान को 7 दिनों के अंदर छुड़ाया जा सकता है।

1.25 24X7 सीमाशुल्क निकासी

(क) विनिर्दिष्ट आयात जैसे 'सरलीकृत' प्रविष्टि बिल मे शामिल माल तथाविनिर्दिष्ट निर्यात जैसे फैक्टरी में भरे गए कंटेनर तथा मुक्त पोतलदान बिलों के तहत निर्यातित माल के लिए 24X7 सीमाशुल्क निकासी कीसुविधा 18 समुद्री पत्तनों यथा चेन्नई, कोचीन, एन्नोर, गोपालपुर, जेएनपीटी, काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, मुम्बई, न्यू मंगलौर, मर्मगोवा, मुन्द्रा, ओखा, पारादीप, पिपावाव, सिक्का, तुतीकोरिन, विशाखपत्तनम में उपलब्ध करायी गई है।

(ख) विनिर्दिष्ट आयातों जैसे ''सरलीकृत'' प्रविष्ट बिलों में शामिल माल तथासभी आयातों जैसे सभी पोतलदान बिलों में शामिल माल के लिए 24X7 सीमाशुल्क निकासी की सुविधा 17 वायु पत्तनों यथा अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोचिन, कालीकट, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई, नासिक, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम में उपलब्ध करायी गई है।

1.26 सीमाशुल्क कार्यालय में एकल खिड़की

(क) व्यापार को सुगम बनाने के लिए आयातक और निर्यातक अपने मंजूरी दस्तावेज केवल एक ही स्थान परजमा करेंगे। व्यवसायी द्वारा इन एजेंसियों से सम्पर्क किए बिना अन्य विनियामक एजेंसियों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी इससे सरकारी एजेंसियों के साथ सम्पर्क, लगने वाले समय तथा व्यवसाय करने की लागत में कमी आएगी।

(ख) संदेश विनिमयता के माध्यम से विदेश व्यापार में शामिल सभी विनियामक अभिकरणों (जैसे पशु संगरोध, पौधा संगरोध, औषध नियंत्रक, वस्त्र समिति इत्यादि) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल विन्डों स्कीम एक साझा मंच उपलब्ध कराती है। एकल विन्डों स्कीम साधारणतः सहकारी सुविधाओं का एक तंत्र है जो

विश्वसनीयता और सहमत इन्टर्फेस विशिष्टताओं के समूह से परिपूर्ण है जिससे व्यापार हेतु निरंतर इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विनियामक सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एकल खिड़की स्कीम के लाभ में व्यवसाय करने में कम लागत, अधिक पारदर्शिता, एक सामान्य प्लेटफार्म पर विनियामक शर्तों के एकीकरण तथा अनुपालन लागत मे की, जनशक्ति का अधिकतम उपयोग शामिल है।

1.27 सीमाशुल्क का स्वयं आकलन

वित्त अधिनियम, 2011 के तहत आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा सीमाशुल्क को स्वयं आकलन किए जाने को प्रारंभ किया गया था। यह प्रणाली विश्वसनीयता पर आधारित है। इसका उद्देश्य आयात/निर्यात की जानी वाली वस्तुओं को शीघ्र निर्मुक्त करना है। प्रणाली एक इलेक्ट्रानिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अनुसार प्रचालित होती है।

1.28 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम

डब्ल्यूसीओ के मानकों के सेफ (एसएएफई) ढ़ांचा (एफओएस) के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क द्वारा निम्नलिखित लाभ लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसाय को समर्थ बनाने के लिए 'प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम' विकसित किया गया हैः

(i) निर्यात स्थल से आयात तक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला;

(ii) विदेशी आयातकों/निर्यातकों को आपूर्ति करने हेतु संविदा करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन दर्शाने की क्षमता;

(iii) परस्पर मान्यता करार (एमआरए) साझेदार देशों में सीमा पर परिष्कृत मंजूरी की सुविधाएं;

(iv) सुरक्षा संबंधित गड़बड़ी के बाद कार्गो के परिचालन में न्यूनतम गतिरोध

(v) रखने के समय और संबंधित लागत मे कमी तथा

(vi) सीमाशुल्क परामर्श/सहायता यदि व्यापार को उन देश के सीमाशुल्क के कार्यालयों के साथ अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न होती है जिनके साथ भारत का एमआरए है।

अन्य सीमाशुल्क प्रशासनों द्वारा एईओ कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं जो स्तर धारकों को जांच में कमी, शीघ्र स्वीकृति तथा अन्य लाभ प्रदान करके सीमाशुल्क विभाग की ओर से तरजीह देता है। इस प्रकार एईओ कार्यक्रम से इन सीमाशुल्क विभाग के प्रशासकों में आपसी मान्यता समझौता (एमआरए) होने की आशा है। एमआरए से यह सुनिश्चित होगा कि हमारे निर्यात माल को विदेश में प्रविष्टि के समय सीमाशुल्क विभाग की विधिवत सुविधा प्रदान की जाए। आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करने के अलावा इसके लाभों में माल को रोकने के समय में तथा परिणामस्वरूप व्यापार की लागत में कमी लाना शामिल है। भारत के सीमाशुल्क विभाग ने संबंधित एईओ कार्यक्रमों को मान्यता देने के

लिए हांगकांग के सीमाशुल्क विभाग के साथ आपसी मान्यता समझौते (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि व्यापार में पारस्परिक आधार पर लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। भारत का सीमा शुल्क विभाग भी अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि के साथ भी एमआरए को अंतिम रूप देने हेतु कार्यरत है।

1.29 पोत लदान बिलों की पूर्व फाइलिंग की सुविधा

वास्तविक पोतलदान से पूर्व पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा पोतलदान बिलों को पोतलदान से पूर्व ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दी गई है। इसे हवाई पोतलदान हेतु 7 दिन के अंदर तथा समुद्र के रास्ते पोतलदान हेतु 14 दिनों के अंदर फाइल करना होता है।

1.30 शुल्क वापसी हेतु निर्यात सामान्य घोषणा (ईजीएम) फाइल करने में विलंब को कम करना

ईजीएम को शीघ्र फाइल करने तथा ईजीएम में होने वाली त्रुटियों को शीघ्र ठीक करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त द्वारा ईजीएम की मासिक निगरानी की जाती है ताकि इस संबंध में सुविधा में कोई विलंब न हो (अनुदेश सं. 603/01/2011-डीबीके दिनांक 31.07.2013)

1.31 विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु दी जाने वाली साझा बांड/एलयूटी की सुविधा

सीबीईसी परिपत्र 11(ए)/2011-सीमाशुल्क दिनांक 25.02.2011 के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) हेतु सांझा बांड/एलयूटी के निष्पादन की वित्तीय वर्ष-वार सुविधा प्रदान की गई है जो सभी ईडीआई पत्तनों/स्थानों पर कारगर है।

1.32 विदेश से प्राप्त सेवाओं पर लगने वाले सेवा कर से छूट

भारत से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, विदेश से प्राप्त/ प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु जहां भी संभव हो, सेवा कर से छूट दी जाएगी।

1.33 खराब होने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात

सौदा और अनुरक्षण लागत को कम करने हेतु खराब हाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकल विन्डो प्रणाली प्रारंभ की गई है। प्रणाली में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली द्वारा

प्रत्यायित की जाने वाली बहुविध नाडल अभिकरणों को सृजित करना शामिल है। विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ग में अधिसूचित की गई है।

1.34 समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने डब्ल्यूसीओ के दिशा-निर्देशों क अनुसार प्रमुख सीमाशुल्क स्थलों पर छमाही आधार पर 'समय निर्गमन अध्ययन' (टीआरएस) करने का निर्णय लिया है। डब्ल्यूसीओ समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस) सीमाशल्क के वास्तविक कार्यनिष्पादन को मापने का एक विशिष्ट साधन और पद्धति है। समय निर्गमन अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अपरोधों/या सीमाशुल्क निर्मुक्ति को प्रभावित करने वाले अवरोधों की पहचान करना।

(ii) आधाररेखा व्यापार सरलीकरण कार्यनिष्पादन पैमाना स्थापित करना।

1.35 निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई)

(क) **उद्देश्यः** निर्यात उत्पादन केन्द्रों का विकास एवं वृद्धि। कई शहर सक्रिय औद्योगिक समूह के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में काफी अच्छा योगदान दे रहें हैं। इन औद्योगिक समूहों को उनकी संभावनाओं को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने तथा नए बाजारों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।

(ख) निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर 750 करोड़ अथवा इससे अधिक का माल उत्पादन करने वाले चुनिंदा शहरों को टीईई के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, हथकरघा, हस्तकला, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में टीईई के लिए सीमा रेखा 150 करोड़ रूपए की होगी। ऐसे टीईई के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगीः

(i) एमएआई स्कीम के तहत प्राथमिकता आधार पर विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं की निर्यात संवर्धन परियोजनाओं के लिए इकाइयों के मान्यता प्राप्त संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम के लिए पात्र होंगे।

(ग) अधिसूचित शहर (टीईई) परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ख में सूचीबद्ध हैं।

1.36 व्यापार आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता

डीजीएफटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डीजीसीआई एंड एस एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है तथा यह व्यापार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराती है जो निर्यात और आयात व्यापार के लिए मार्गदर्शन और निर्देशन के स्रोत का कार्य करता है जिससे निर्यातकों और आयातकों को अपने व्यापार की कार्यनीति तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। डीजीसीआई एंड एस द्वारा विदेश व्यापार आंकड़ों का प्रसारण (i) सीडी के रूप में मासिक और तिमाही प्रकाशन (ii) प्रयोक्ता के अनुरोध के अनुसार विदेश व्यापार डाटाबेस से आंकड़े प्राप्त करके किया जाता है। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु एक मूल्य आधारित सूचना प्रणाली (पीआईएस) है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों को पूर्णतया छोड़ा गया है। डीजीसीआई एवं एस की एक आंकड़ा नियंत्रण नीति है। इस नीति का उद्देश्य आयातकों और निर्यातकों के व्यावसायिक रूप से संवेदनशील व्यापार आंकड़ों की गोपनीयता को कायम रखना है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सौदा स्तर के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस व्यापार आंकड़ों को समग्र आधार पर व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम संभाव्य समय सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस का विवरण www.dgciskol.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्याय - 2

आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 उद्देश्य

माल एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात को शासित करने वाले सामान्य प्रावधानों की व्याख्या इस अध्याय में दी गई है।

2.01 आयात एवं निर्यात- 'मुक्त' जब तक कि विनियमित न किया जाए

(क) निर्यात एवं आयात मुक्त होंगे सिवाए उन मामलों में जब उन्हें 'प्रतिबंध' 'रोक' अथवा 'राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिए अनन्य व्यापार' के माध्यम से विनियमित किया जाए जैसा कि निर्यात एवं आयात वर्गीकरण का भारतीय व्यापार उद्यम (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)] में निर्धारित किया गया है। 'प्रतिबंधित' 'रोक लगाई गई' और 'एसटीई' मदों की सूची http://dgft.gov.in के डाउनलोड्स पर क्लिक कर देखी जा सकती है।

(ख) इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी मदें हैं जो आयात/निर्यात हेतु 'मुक्त' हैं परन्तु अन्य अधिनियमों अथवा वर्तमान मे लागू विधि में निवल शर्तों के अधीन हैं।

2.02 निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)]

(क) आईटीसी(एचएस) निर्यात/आयात हेतु सभी पण्य/माल के लिए कोडों का संकलन है। माल को उसके समूह अथवा उप-समूह के आधार पर 2/4/6/8 अंकों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) आईटीसी(एचएस) को विश्व सीमाशुल्क संगठन (http://www.wcoomd.org) द्वारा देख-रेख किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सुमेलित तंत्र माल नाम-पद्धति के साथ 6 अंकीय स्तर पर संरेख किया गया है। तथापि, भारत माल के राष्ट्रीय सुमेलित तंत्र को अंकीय स्तर पर बनाए रखता है जिसे http://dgft.gov.in 'डाउनलोड्स' को क्लिक कर देखा जा सकता है।

(ग) सभी माल के लिए आयात/निर्यात नीतियाँ आईटीसी(एचएस) की प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई हैं। आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1 में आयात नीति व्यवस्था निर्धारित की गई है जबकि आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-2 में निर्यात नीत्ति व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) सिवाए उस मामले के जहाँ यह स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट हो, आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1, आयात नीति नए माल के लिए है न कि पुराने माल के लिए। पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था इस विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.31 मे दी गई है।

2.03 स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन

(क) स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू स्वदेशी कानून/नियम/आदेश/विनियम/तकनीकी विनिर्देशन/पर्यावरण/सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदण्ड यथा आवश्यक परिवर्तन सहित आयात पर लागू होंगे, यदि इन्हें विशिष्ट रुप से छूट नहीं दी गई हो ।

(ख) तथापि, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/खपत किए जाने वाले माल, डीजीएफटी द्वारा यथाअधिसूचित, को घरेलू मानकों/गुणवत्ता विनिर्देशों से छूट दी जा सकती है।

2.04 प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों तथा इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु प्रकिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अथवा संशोधन, यदि कोई हो, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी

आयात निर्यात कोड

2.05 आयात निर्यात कोड (आईईसी)

(I) आईईसी का अभिप्राय किसी व्यक्ति को आवंटित की जाने वाली 10 अंकीय संख्या से है जो किसी निर्यात/आयात कार्यकलाप आरंभ करने हेतु अनिवार्य होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा ई-आईईसी में भी आईईसी हेतु सुविधा शुरु कर दी गई है।

(क) **आईटीसी/ई-आईईसी हेतु आवेदनः**

आईईसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र हाथ से भरा जा सकता है और इसे डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से ईआईईसी हेतु कोई आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के 2.08 के अनुसार 500 रुपये का आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, जो शीघ्र ही शुरु किया जाने वाला है के जरिए ऑनलाइन भुगतान करके एएनएफ 2क में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ अपलोड/जमा किए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेज/ब्यौरे आवेदन पत्र (एएनएफ 2क) में सूचीबद्ध हैं।

(ख) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई-आईईसी अनुमोदित कर दिया जाता है तो आवेदक के ई-मेल के जरिए यह सूचना दी जाती है कि डीजीएफटी वेबसाइट पर कम्प्यूटर सृजित ई-आईईसी उपलब्ध है। ''ऑनलाइन आईईसी आवेदन'' वेबपेज में अपेक्षित ब्यौरे भरकर और सब्मिट करने के पश्चात् ''आवेदन स्थिति'' पर क्लिक कर आवेदक अपना ई-आईईसी देख सकता है और प्रिंट ले सकता है।

(ग) संक्षेप में, आईईसी के आवेदन के साथ अपेक्षित ब्यौरा/दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियाँ) जिन्हें प्रस्तुत किया जाना है/अपलोड किया जाना है, निम्नलिखित हैः

(i) आईईसी चाहने वाली कम्पनी का ब्यौराः

(1) व्यापारिक कम्पनी का पैन जिसके नाम पर आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में आवेदक व्यक्ति)

(2) आवेदक कम्पनी का पता संबंधी साक्ष्य।

(3) एलएलपीआईएन/सीआईएन/पंजीकरण प्रमाणन संख्या (जो भी लागू हो)।

(4) बैंक प्रमाणपत्र/कैंसिल किया हुआ चेक जिसपर कम्पनी का नाम पहले से मुद्रित हो अथवा निर्धारित प्रपत्र एएनएफ 2क(1) में बैंक का प्रमाणपत्र के साथ कम्पनी के बैंक खाते का ब्यौरा।

(ii) स्वामी/भागीदारों/निदेशकों/सचिव अथवा सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी/कम्पनी के प्रबंध न्यासी का ब्यौराः

(1) पैन (सभी श्रेणियों के लिए)।

(2) डीआईएन/डीपीआईएन (कम्पनी/एलएलपी फर्म के मामले में) ।

(iii) हस्ताक्षरी आवेदक का ब्यौराः

(1) पहचान पत्र

(2) पैन

(3) डिजिटल फोटोग्राफ

(घ) आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होने की स्थिति में आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और कोई वास्तविक आवेदन अथवा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है । आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट जो आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, को संबंधित क्षेत्राधिकार-क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वयं जाकर अथवा डाक द्वारा जमा किया जाना है।

(ड.) ई-आईईसी हेतु आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश <http://dgft.gov.in/exim/2000/iec anf/iecanf.htm>. पर उपलब्ध है।

(II) आईईसी के बिना कोई निर्यात/आयात नहीं

(i) जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा।

(ii) छूट प्राप्त श्रेणियाँ और स्थायी आई ई सी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 में दी गई है ।

(III) एक स्थायी खाता संख्या (पैन) के निमित्त केवल एक आईईसी।

2.06 भारत से/में माल के निर्यात/आयात हेतु अनिवार्य दस्तावेज

(क) भारत से माल के निर्यात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजः
1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. पोत परिवहन बिल/निर्यात बिल

(ख) भारत में माल के अयात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजः
1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. प्रविष्टि बिल

[टिप्पणीः *(i) सीबीईसी परिपत्र सं0 01/15-सीमाशुल्क दिनांक 12/01/2015 के अनुसार (ii) पृथक वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची भी स्वीकार किए जाएंगे।]

(ग) विशिष्ट माल अथवा माल की श्रेणी, के जो किसी प्रतिबंध/नीतिगत शर्तों अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी संविधि के तहत उत्पाद विशिष्ट अनुपालनों के अधीन हों, के निर्यात अथवा आयात के लिए संबंधित प्राधिकारी निर्यात अथवा आयात के प्रयोजनों के अतिरिक्त दस्तावेज अधिसूचित कर सकता है।

(घ) निर्यात अथवा आयात के विशिश्ट मामलों में संबंधित विनियामक प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित मे अतिरिक्त दस्तावेज अथवा जानकारी, विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक हो, की माँग कर सकता है।

(ड.) उपर्युक्त शर्तें 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगी।

2.07 प्रतिबंध के सिद्धांत

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता है :-

(क) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण ।
(ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
(ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम ।
(घ) कैदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम ।
(ड.) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी मूल्य की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण।
(च) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण ।
(छ) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण; और
(ज) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साजो-सामान के व्यापार की रोकथाम।

2.08 *प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात*

कोई भी माल/सेवा जिसका निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, उसका इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र/अनुमति/लाइसेंस या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।

2.09 स्कोमेट मदों का निर्यात

विशेष रसायनों, जीवों, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निर्यात जैसा कि निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है। समय-समय पर यथासंशोधित एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 का अध्याय IVक (ii) निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की सारणी क की क्रम सं0 4 और 5 और परिशिष्ट-3 (iii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.16, पैरा 2.17, पैरा 2.18 तथा (IV) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.73-2.82 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

2.10 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरुरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त विशेष रुप से हटा न दी गई हो ।

2.11 प्राधिकार पत्र के नियम एवं शर्तें

प्रत्येक प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ तथा निम्नलिखित सहित ऐसे नियम एवं शर्तें होंगी जो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :-

(क) माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य;

(ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त; (अध्याय 9 में यथापरिभाषित)

(ग) निर्यात दायित्व;

(घ) प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य संवर्धन; और

(ड.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य

(च) सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचन/बॉण्ड (जैसा कि एफटीपी के पैरा 2.35 में दिया गया है)।

(छ) प्रक्रिया पुस्तक में यथा विनिर्दिष्ट आयात/निर्यात की वैधता की अवधि।

2.12 आवेदन शुल्क

आईईसी/प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/स्क्रिप के लिए आवेदन करते समय आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है जैसा कि परिशिष्टों के परिशिष्ट 2ट और आयात निर्यात फार्मों में दर्शाया गया है।

2.13 सीमाशुल्क विभाग से प्राधिकार पत्र के मद्दे माल की निकासी

अग्रिम में पहले ही आयातित/भेजा गया/आया हुआ माल परन्तु जिसकी निकासी सीमाशुल्क विभाग द्वारा नहीं की गई है, की निकासी बाद में निर्गमित प्राधिकार पत्र से भी की जा सकती है। तथापि, यह सुविधा ''प्रतिबंधित'' वस्तुओं अथवा एसटीई के जरिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

2.14 *प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है*

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने/नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा ।

2.15 दांडिक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना

(क) यदि कोई प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है अथवा राजस्व विभाग और/अथवा डीजीएफटी द्वारा जारी माँग सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और देशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी भी कानून के अनुसार कार्रवाई हेतु दायी होगा ।

(ख) नैतिक मानकों का स्तर उठाने के उद्देश्य से और व्यापार करने में सुविधा हेतु डीजीएफटी ने विभिन्न स्कीमों के तहत स्व-प्रमाणन प्रणाली की व्यवस्था की है। ऐसे मामलों में आवेदकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया में जानकारी/विवरण भरने समय पर्याप्त ध्यान और सावधानी बरतनी है। बाद में किसी जानकारी/विवरण के असत्य/गलत पाए जाने पर किसी अन्य अधिनियम/आदेश के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा एफटीडीआर अधिनियम,1992 और तत्संबंधी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी फर्म को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम के प्रावधान के तहत निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा जा सकता है। लिखित में कारणों को दर्ज किए जाने हेतु ऐसा आदेश जारी करने पर किसी फर्म को वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप अथवा किसी लिखत प्रदान किए जाने अथवा नवीकरण से इन्कार किया जा सकता है। यदि किसी फर्म को डीईएल के तहत रख दिया जाता है तो सभी नए लाइसेंस, स्क्रिप,प्रमाण-पत्र, लिखत आदि को मुद्रण/निर्गम/नवीकरण से रोक दिया जाएगा।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करने हेतु डीईएल आदेशों को स्थगित किया जा सकता है। डीईएल आदेश को एक बार में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता।

(ड.) यदि फर्म निर्यात दायित्व पूरा कर लेती है, दंड राशि का भुगतान कर देती है क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी माँग सूचना की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है, तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करने हेतु, डीईएल से फर्म के नाम को हटाया जा सकता है।

प्रतिबंध (देश और उत्पाद विशिष्ट)

2.16 *इराक से/को 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात और निर्यात पर निषेध*

'हथियारों और संबंधित सामान' के लिए नीति जो कि आईटीसी (एचएस) के अध्याय 93 में दी गई है, के बावजूद इराक से/ को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात 'निषिद्ध' होगा। तथापि, इराक सरकार को हथियार और संबंधित सामग्री के निर्यात की अनुमति रक्षा उत्पादन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त कर प्रदान की जाएगी।

2.17 *कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध*

कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य (डी पी आर के) से/को, निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, 'निषिद्ध' हैः

दस्तावेजों आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-11/भाग 1 और आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-8/भाग 2क (आई ए ई ए दस्तावेज) एस/2012/947, एस/2009/364 और एस/2006/853 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) और संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद संकल्प 2094 (2013) के अनुलग्नक-III में सूचीबद्ध मदों सहित सभी मदें,, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी, जो डी पी आर के को आणविक संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा अन्य व्यापक जनसंहार संबंधी कार्यक्रमों के हथियारों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2094(2013) के अनुलग्नक-IV में विनिर्दिष्ट मदों जो इन्हीं मदों तक सीमित नहीं है, सहित विलासिता की वस्तुओं में योगदान दे सकता है ।

2.18 *ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध*

(क) सभी मदों, सामग्रियों, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात, जो ईरान के संवर्धन-संबंधी, पुनः संसाधन अथवा हैवी वाटर संबंधी कार्यकलापों में अथवा निम्नलिखित न्यूक्लीयर वैपन डिलिवरी सिस्टम्स के विकास में योगदान दे सकता है, चाहे उसका उद्गम देश ईरान हो या न हो, ईरान से/ को, 'निषिद्ध' होगा :-

(i) आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी 9/भाग-1 में और आईएनएफसी आईआरसी/254/आरईवी.7/भाग-2 (आईएईए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें

(ii)) एस/2006/263(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद)में सूचीबद्ध मदें।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्प/ दस्तावेज और आई ए ई ए दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट (www.un.org/Docs/sc) और आई ए ई ए की वेबसाइट (www.iaea.org) पर उपलब्ध है।

2.19 सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक

सोमालिया से चारकोल का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात निषिद्ध है, चाहे ऐसे चारकोल की उत्पत्ति सोमालिया [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2036 (2012)] में हुई हो या नहीं हुई हो । चारकोल के आयातक सीमा-शुल्क कार्यालय को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि खेप की उत्पत्ति सोमालिया में नहीं हुई है ।

राज्य व्यापार उद्यमों के द्वारा आयात/निर्यातः

2.20 राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)

(क) विपणन बोर्डों सहित राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) सरकारी और गैर-सरकारी उद्यम हैं जो निर्यात और/या आयात संबंधी माल का व्यापार करते हैं। कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रुप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है । विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित राज्य व्यापार उद्यमों की सूची परिशिष्ट-2 में है।

(ख) ऐसा राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे ।

(ग) तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल, एसटीई के जरिए अनन्य व्यापार हेतु अधिसूचित, के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है ।

विशिष्ट देशों के साथ व्यापारः

2.21 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी स्कीम बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

2.22 माल लाने-ले-जाने की सुविधा

भारत से अथवा भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होंगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी ।

2.23 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधान, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरुप नहीं है, लागू नहीं होगा ।

माल की विशिष्ट श्रेणियों का आयात

2.24 नमूनों का आयात

नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.65 द्वारा शासित होगा।

2.25 उपहारों का आयात

आईटीसी(एच एस) के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रुप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों का आयात मुक्त होगा। अन्य मामलों में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किसी प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातों की अनुमति होगी ।

2.26 यात्री असबाब

(क) वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है ।

(ख) ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रुप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना यात्री असबाब के रुप में आयात किया जा सकता है ।

(ग) विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने यात्री असबाब के रुप में, निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न्स, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्टस, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंटस का आयात करने की अनुमति है।

2.27 विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनुषंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, टेक्नोलौजी में गुणवत्ता सुधार अथवा उन्नयन अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है ।

2.28 विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात

विदेश में परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो ।

2.29 प्रोटो टाइप्स का आयात

वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को नई/पुराने प्रोटोटाईप्स/पुराने नमूनों का आयात शुल्क के भुगतान पर बिना प्राधिकार पत्र के किया जा सकता है, जो उत्पादन कार्य में लगें है या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र है कि वे उत्पाद विकास या अनुसंधान के लिए जैसा भी मामला हो, प्रोटो टाइप की जरुरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरुप स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं।

2.30 कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों का आयात/निर्यात विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी(एचएस) के अनुसार विनियमित होगी।

पुराने माल के लिए आयात नीति

2.31 पुरानी वस्तुएं

क्रम सं0	पुराने माल की श्रेणियाँ	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
I	पुराने पूंजीगत माल		
(क)	(i) निजी कम्प्यूटर्स/लैपटॉप्स उनके नवीकृत/दुरुस्त पूर्जे सहित (ii) फोटोकॉपियर मशीनें/डिजिटल बहुकार्य प्रिन्ट और कापिंग मशीनें (iii) एयर कंडीशनर्स (iv) डीजल जेनरेटिंग सेट	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति
(ख)	पूंजीगत माल के नवीकृत/दुरुस्त पुर्जे	मुक्त	सनदी अभियन्ता के इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन कि ऐसे पुर्जों का मूल पुर्जे के न्यूनतम 80% का शेष जीवनकाल है।
(ग)	अन्य सभी पुराने पूंजीगत माल (उपर्युक्त (क) और (ख) को छोड़कर)	मुक्त	
II	पूंजीगत माल को छोड़कर पुराने माल	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति।

धात्विक छीजन और स्क्रैप की आयात नीतिः

2.32 धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

(क) किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित वेस्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारुद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या प्रयुक्त हुआ बारुद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, शामिल नहीं होगा जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 में उल्लेख है।

(ख) धात्विक छीजन और स्क्रैप जिसका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, और टुकड़े रूप में; बिना टुकड़े और सम्पीड़ित तथा ढीले रूप में आयात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 मे निर्धारित किए गए हैं।

2.33 एसईजेड से स्क्रैप/छीजन को हटाना

एसई जेड यूनिट/विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को डीटीए में विनिर्माण या संसाधन कार्यकलाप के दौरान सृजित किसी भी प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रैप सहित किसी छीजन या स्क्रैप को प्राधिकार पत्र के बिना, लागू सीमाशुल्क का भुगतान करने पर हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

आयात से संबंधित अन्य प्रावधान

2.34 पट्टा वित्त प्रबन्धन के अधीन आयात

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति आवश्यक नहीं है ।

2.35 विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन

(क) जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निर्धारित तरीके से विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

(ख) स्वदेशी प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय-2 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.36 आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के नियम एवं शर्तों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियारों और गोला-बारुद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरुरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है । ऐसे माल पर ऐसी वस्तुओं की, निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा ।

(ग) एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती, तो ऐसी वस्तुओं का आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है ।

2.37 खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित वस्तुओं हेतु विशेष प्रावधान

डी टी ए बिक्री के प्रयोजन हेतु पब्लिक बांडेड वेयर हाउस में खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित चमड़े का आयात किया जा सकता है तथा उनकी अनबिकी मदों को 50% लागू निर्यात शुल्क पर ऐसे बांडेड वेयर हाउसेस को पुनः निर्यात किया जा सकता है । तथापि, यह सुविधा निजी बांडेड वेयर हाउस के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होगी ।

2.38 महा समुद्र में बिक्री

भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है ।

निर्यातः

2.39 मुक्त निर्यात

जब तक ये निर्यात आई.टी.सी(एच एस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता हैं । तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है ।

2.40 माल और सेवाओं के निर्यात पर डीटीए में सेवा कर की वापसी/छूट

प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के अध्याय-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की अनुमति दी जाएगी ।

2.41 सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ

सहायक विनिर्माता को प्राप्त होने वाले किसी लाभ (विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.58 में यथा परिभाषित) को प्राप्त करने के लिए सहायक विनिर्माता तथ व्यापार निर्यातक दोनों के नामों का संबंधित निर्यात दस्तावेजों विशेषतः एआरई-1/एआरई3/पोत लदान बिल/निर्यात बिल/एयरवे बिल पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.42 तीसरा पक्ष निर्यात

अध्याय 9 में यथापरिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति विदेश व्यापार नीति के तहत होगी। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे पोत लदान बिलों पर व्यापार निर्यातक/व्यापारियों तथा तृतीय पक्ष निर्यातक/निर्यातकों दोनों के नामों का उल्लेख किया जाएगा/ बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी), स्व-घोषणा फार्म (एसडीएफ), निर्यात आदेश और बीजक तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम होने चाहिए।

विशिष्ट श्रेणियों का निर्यातः

2.43 नमूनों का निर्यात

नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-2 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होगा ।

2.44 उपहारों का निर्यात

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरुप किया जा सकेगा । तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता ।

2.45 यात्री असबाब का निर्यात

(क) वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है । तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरुरी होगा । तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री (मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(ख) उन मदों के नमूने जो विदेश व्यापार नीति के तहत अन्यथा निर्यात योग्य हैं, बिना प्राधिकार पत्र के यात्री असबाव के रुप मे भी निर्यात किए जा सकते हैं ।

2.46 निर्यात हेतु आयात

I. (क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रुप में या वस्तुतः उसी रुप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात या

निर्यात की जाने वाली मद आई टी सी (एच एस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित न हो ।

(ख) पूंजीगत माल (नया और पुराने सहित) माल का निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है बशर्तेः

(i) आयातक सीमाशुल्क विभाग के अनुबंध के तहत माल को स्वीकृत कराता है;

(ii) माल मुक्त रूप से निर्यात किए जाने योग्य है अर्थात 'प्रतिबंधित'/निषिद्ध नहीं है। जो राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से किए जाने वाले विशेष व्यापार अथवा आईटीसी(एचएस) की निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित किसी शर्त/ आवश्यकता के अधीन है।

(iii) निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित माल में आयात हेतु 'प्रतिबंधित' माल (निषिद्ध मदों को छोड़कर) शामिल होगा।

(घ) मुक्त रूप से आयात योग्य तथा निर्यात योग्य पूंजीगत माल का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन किए जाने पर निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है।

II. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे आयातित माल को निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान किए जाने के मद्दे ही दी जाएगी जब तक डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो।

(ख) ऐसे माल को अधिसूचित देशों (वर्तमान में केवल ईरान) में निर्यात करने की अनुमति भारतीय रुपये में भुगतान किए जाने के मद्दे की जाएगी जो न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन के अधीन है।

(ग) तथापि, ईरान को निर्यात हेतु खाद्य सामग्री, दवाईयों, चिकित्सा उपस्करों अर्थात आईटीसी (एचएस) के अध्याय 2 से 4,7 से 11, 15 से 21, 23, 30 तथा आईटीसी (एचएस) के अध्याय-90 के शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अंतर्गत मदें न्यूनतम मूल्य संवर्धन की आवश्यकता के अधीन नहीं होंगी। तथापि ईरान को होने वाला इन मदों का आयात विदेश व्यापार नीति 2015-20 और आईटीसी (एचएस) 2012 की अन्य सभी शर्तों, यदि लागू हों, के अधीन होगा। आईटीसी (एचएस) 0407, 0408 के अंतर्गत शामिल पक्षी के अंडे तथा आईटीसी (एचएस) 1006 के अंतर्गत शामिल चावल उपर्युक्त **II** (ख) और (ग) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त **II** (ख) और (ग) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत किया जाने वाला निर्यात किसी निर्यात-लाभ को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

2.47 कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात

पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमत है। तथापि ऐसी मदों का अयात/निर्यात किया जाना विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2.48 प्रतिस्थापन माल का निर्यात

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित न हो ।

2.49 मरम्मत किए गए माल का निर्यात

(i) निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर, कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये गये तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान की प्राधिकार-पत्र के बिना और सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।

(ii) कंपनियों/फर्मों तथा वास्तविक उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा ऐसे खराब हिस्सों/पुर्जों का पुनः निर्यात करना अनिवार्य नहीं होगा यदि इन्हें विशेष रूप से मूल कारण का पता लगाने, परीक्षण और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयात किया गया है।

2.50 अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

प्लान्ट इक्विपमैंटस, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स के वारण्टी स्पेयर्स (देशी अथवा आयातित) या कोई अन्य माल, (आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबन्धित मदों को छोड़कर) का मुख्य इक्विपमैंट के साथ अथवा बाद में निर्यात किया जा सकता है किन्तु यह ऐसे माल की वारंटी अवधि के भीतर ही हो बशर्ते कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो।

2.51 निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती हैं ।

(ख) ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के हकदार होंगे। ऐसे अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

आयात/निर्यात हेतु भुगतान और प्राप्ति

2.52 निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

(क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी ।

(ख) तथापि, विशेष निर्यातों के मद्दे निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए हों । इसके अतिरिक्त वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे हो । इस सौदे के कारण खरीदार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रुप में गिना जाएगा ।

(ग) संविदाओं (जिन के लिए भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे) उन्हें ए सी यू डालर के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रुपयों में नामकरण किया जा सकता है ।

2.53 ईरान को निर्यात-विदेश व्यापार नीति के लाभों/प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनने के लिए भारतीय रुपयों में वसूली

उरोक्त पैरा 2.52(क) में निहित प्रावधानों के अलावा ईरान को किए गए विशेष निर्यातों से भारतीय रुपये मे प्राप्त निर्यात आय पर विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्यात लाभ प्रोत्साहन उपलब्ध होगा जो मुक्त परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य होगी ।

2.54 निर्यात आय की गैर वसूली

(क) यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) यदि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर (अप्रत्याशित घटना) की वजह से निर्यात आय प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो वह प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.87 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त न हुई राशि को बट्टे-खाते डालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क कर सकता है।

(ग) बीमा कवर के जरिए प्राप्त राशि विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु पात्र होगी। ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.85 में डाल दी गई है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

2.55 आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।

(क) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं जिनकी स्थापना भारतीय निर्यातों का संवर्धन और विकास करने के लिए की गई है। प्रत्येक परिषद एएनएफ के परिशिष्ट 2न के अनुसार उत्पादों/परियोजनाओं/सेवाओं के एक विशिष्ट समूह के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) ईपीसी अपने सदस्यों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। ईपीसी के लिए अपने सदस्यों को आरसीएमसी जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में चिन्हित करने के मानदंड प्रक्रिया-पुस्तक के 2.92 में दिए गए हैं।

2.56 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कोई भी व्यक्ति, जो

(क) आयात/निर्यात (मदों के अतिरिक्त) के लिए प्राधिकार पत्र (आई टी सी(एच एस) में प्रतिबंधित मदों के रुप में सूचीबद्ध

अथवा

(ख) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डीजीएफटी की वेबसाइट पर आयातक निर्यातक प्रोफाइल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत अथवा अपलोड करना होगा जब तक कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रुप से उसे छूट न दी गई हो । मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रुप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) को इस नीति के तहत प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर सी एम सी) के रुप में माना जाएगा।

नीतिगत व्याख्या और छूटें

2.57 नीतिगत व्याख्या

(क) नीतिगत व्याख्या, अथवा प्रक्रिया-पुस्तक के प्रावधान, परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों अथवा आईटीसी(एचएस) के आयात/निर्यात के लिए किसी मद के वर्गीकरण से संबंधित सभी मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायता करने और सलाह देने के लिए एक नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) का गठन किया जा सकता है। पीआईसी की रचना निम्नानुसार होगीः-

(i) महानिदेशक, विदेश व्यापारः अध्यक्ष
(ii) मुख्यालय के सभी अपर महानिदेशक विदेश व्यापारः सदस्य
(iii) नीतिगत मामलों को बनाने वाले मुख्यालय में कार्यरत सभी संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापारः सदस्य
(iv) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापारः सदस्य-सचिव (पीआरसी/ पीआईसी)

(v) अध्यक्ष द्वारा सह-चयनित संबंधित मंत्रालय/विभाग का कोई अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि

2.58 नीति/प्रक्रिया से छूट

विदेश व्यापार महानिदेशालय जनहित में ऐसे आदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसी छूट, रियायत, उपाय प्रदान कर सकता है जोकि वह विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान अथवा किसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा श्रेणी पर व्यापार पर विपरीत प्रभाव और वास्तविक कठिनाइयों के आधार पर उपयुक्त समझता है। ऐसी छूट प्रदान करते समय, विदेश व्यापार महानिदेशालय समिति से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह उपयुक्त मानता हो।

क्रम सं0	विवरण	समिति
(क)	उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समितियाँ
(ख)	पूंजीगत माल (सीजी) और ईपीसीजी स्कीम के तहत लाभों का संबंध	ईपीसीजी समितियाँ
(ग)	अन्य सभी मामले	नीतिगत छूट समिति(पीआरसी)

2.59. शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई

(क) सरकार व्यापार और उद्योग जगत से शिकायतों को तीव्र और शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश व्यापार नीति का पैराग्राफ 2.58 नीति और प्रक्रिया में व्यापार पर वास्तविक कठिनाईयों और विपरित प्रभाव छूट प्रदान करता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित मानदण्ड समितियों, ईपीसीजी समितियाँ अथवा नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) से विचार विमर्श करने के पश्चात् छूट पर विचार कर सकता है।

(ख) आयातकों/निर्यातकों की शिकायतों के समाधान के अंतिम विकल्प के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय पीआरसी से पहले व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसी पीएच के लिए, परिशिष्ट 2ट के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ एक विशिष्ट निवेदन महानिदेशक विदेश व्यापार को किया जाना चाहिए यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं :

(i) यदि आयातक/निर्यातक नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के किसी प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय/आदेश द्वारा संतुष्ट नहीं हैं, और

(ii) उक्त समिति अथवा प्राधिकारी के पास पुनरीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

(iii) ऐसी समिति अथवा प्राधिकारी ने पुनरीक्षा के लिए आवेदन पर विचार किया है, और

(iv) निर्यातक/आयातक की परेशानी कम नहीं हुई है।

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई के अनुसरण में लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(घ) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के संबंधित प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय कार्रवाई चाहे वह पहली अवस्था में हो अथवा अपीलीय अवस्था सहित किसी कार्यवाही में लिए गए निर्णय/आदेश पर लागू नहीं होगा।

2.60 *बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान*

ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने ऐसे कारण, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और रुग्ण इकाइयों के विलयन, अभिग्रहण और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में बंदोबस्त आयोग को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है ।

उद्गम होने वाले माल का स्व-प्रमाणन

2.61 उद्गम के प्रमाणपत्र पर स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम

(i) फिलहाल विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों(एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत उद्गम के प्रमाणपत्र परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ख के अनुसार नामित एजेंसियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। सौदा लागत को कम करने के उद्देश्य से स्वप्रमाणन की एक वैकल्पिक प्रणाली शुरु की जा रही है।

(ii) विनिर्माता जो कि स्तर धारक भी हैं प्राधिकृत निर्यातक स्कीम के भी पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने विनिर्मित माल को प्रचलित विविध पीटीए/एफटीए/सीईसीए/

सीईपीए के तहत तरजीही समझौते को पास करने के उद्देश्य से भारत में बनाया हुआ दर्शाने के लिए स्वप्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्वप्रमाणन केवल उसी माल के लिए अनुमत होगा जोकि विनिर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यम संबंधी ज्ञापन (आईईएम)/औद्योगिक लाइसेंस (आईएस)/आशय-पत्र (एलओआई) के अनुसार हो।

(iii) परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च के साथ पठित प्रक्रिया-पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.109 के विवरणों के अनुसार डीजीएफटी द्वारा अपेक्षित अवसंरचना, क्षमता और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणन के लिए प्राधिकृत निर्यातकों के रूप में स्तरधारकों की पहचान की जाएगी।

(iv) दण्ड प्रावधानों के साथ स्कीम का विवरण परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च में दिया गया है और केवल तभी लागू होगा जब भारत स्कीम अपने सहभागी/सहभागियों के साथ एक विशिष्ट समझौते के रूप में शामिल करता है और इसे डीजीएफटी द्वारा उपयुक्त रूप से अधिसूचित किया जाता है।

अध्याय-3

भारतीय योजनाओं के तहत निर्यात

3.00 उद्देश्य

इस अध्याय के तहत योजनाओं का उद्देश्य प्रौद्योगिक-अवसंरचनात्मक अदक्षताओं एवं उनसे जुड़ी लागतों को प्रतिसंतुंलित करते हुए निर्यातकों को लाभ देना तथा उन्हें एक समान धरातल उपलब्ध कराना है।

3.01 भारतीय स्कीमों के तहत निर्यात

वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित क्रमशः दो स्कीमें होंगीः

(i) भारतीय योजना के तहत वाणिज्य-वस्तु निर्यात (एमईआईएस)
(iii) भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)

3.02 प्रतिफलों की प्रकृति

एमईआईएस और एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल के रूप में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाएगी। इनके तहत आयात घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप और वस्तुएँ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जा सकता है:

(i) परिशिष्ट 3क में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर निविष्टियों या वस्तुओं के आयात के लिए सीमाशुल्क के भुगतान के लिए
(ii) डीओआर अधिसूचना के अनुसार पूंजीगत माल सहित निविष्टियों या वस्तुओं की घरेलू प्राप्ति पर उत्पाद शुल्क का भुगतान होगा।
(iii) सेवाओं की प्राप्ति पर सेवा शुल्क का भुगतान राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार होगा।
(iv) इस नीति के पैरा 3.18 के अनुसार सीमाशुल्क तथा शुल्क के भुगतान हेतु।

भारतीय योजना (एमईआईएस) से वाणिज्य वस्तु निर्यात

3.03 उद्देश्य

भारतीय योजना के तहत वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात (एमईआईएस) का उद्देश्य, भारत में उत्पादित/निर्मित हुई वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक अकुशलताओं और माल/उत्पादों के निर्यात में शामिल संबंद्ध लागतों का

समायोजन करना है जिससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं होंगी और इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

3.04 एमईआईएस के अन्तर्गत पात्रता

परिशिष्ट 3ख में यथा सूचीबद्ध अधिसूचित बाजारों के लिए आईटीसी (एचएस) कोड के साथ अधिसूचित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात को एमईआईएस के तहत प्रतिफल प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न अधिसूचित उत्पादों (आईटीसी-एचएस कोड वार) पर प्रतिफल की दर (रें) की सूचियाँ भी परिशिष्ट 3ख में होंगी। प्रतिफल के परिकलन का आधार जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, मुक्त विदेशी मुद्रा में एफओबी मूल्य अथवा पोतलदान बिलों में मुक्त विदेशी मुद्रा एफओबी मूल्य, जो भी कम हो, होगा।

3.05 कूरियर और ई-कामर्स प्रयोग करने वाले विदेश डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात

(i) परिशिष्ट 3ग की अधिसूचना के अनुसार ई-कामर्श का उपयोग करते हुए कूरियर के माध्यम वस्तुओं के निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत 25000 रुपये प्रति खेप की एफओबी मूल्य हेतु प्रतिफल प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(ii) यदि ई-कामर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए निर्यात का मूल्य 25000 रु0 प्रति खेप से अधिक है तो, एमईआईएस प्रतिफल केवल 25000 रु0 के एफओबी मूल्य तक सीमित होगा।

(iii) ऐसी वस्तुएं नई दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई में स्थित विदेश डाक कार्यालयों के माध्यम से हस्तचलित विधि में निर्यात की जा सकती है।

(iv) कूरियर विनियमों के अधीन ऐसे माल का निर्यात, राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों में उपयुक्त संशोधनों के अनुसार दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई मे स्थित विमानपत्तनों के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर हस्त-विधि द्वारा अनुमत किया जाएगा। राजस्व विभाग कूरियर टर्मिनलों पर ईडीआई विधि का कार्यान्वयन फास्ट-ट्रेक आधार पर करेगा।

3.06 एमईआईएस के अन्तर्गत अपात्र श्रेणियाँ

एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप हकदारी के लिए निम्नलिखित निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र अपात्र होंगेः

(i) ईओयूएस/ईएसचटीपीएस/बीटीपीएस/एसटीपीएस जो प्रत्यक्ष कर के लाभ/छूट प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) एसईजेड इकाइयों को डीटीए इकाइयों से आपूर्ति की गई हो।

(iii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के तहत आयात की गई वस्तुओं का निर्यात।

(iv) पोतांतरण के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का उद्गम तो तृतीय देशों में हुआ है लेकिन भारत से पोतांतरण किया गया हो।

(v) मान्य निर्यात।

(vi) डीटीए इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद।

(vii) मदें, जो आईटीसी(एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अन्तर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध की गई है जब तक परिशिष्ट 3ख में विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(viii) सेवा निर्यात।

(ix) रेड सैंडर्स और बीच सैन्ड।

(x) निर्यात उत्पाद जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन हो।

(xi) हीरा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, सादे और जड़ित आभूषणों सहित किसी भी रूप में अन्य मूल्यवान धातु और अन्य मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्न।

(xii) सभी प्रकार और सभी संरुपणों में अयस्क और सांद्रण

(xiii) सभी प्रकार के अनाज।

(xiv) सभी प्रकार की और सभी रुपों मे चीनी।

(xv) सभी प्रकार और सभी संरुपणों में कच्चा/पेट्रोलियम तेल और कच्चा/प्राथमिक और मूल उत्पाद

(xvi) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

(xvii) मांस और मांस उत्पादों का निर्यात

(xviii) उत्पाद जिसमें मूल्यवान धातु/हीरे का प्रयोग किया गया है या वस्तुएँ, जो मूल्यवान नगों के साथ जड़ी गई हैं।

(xix) एफटीडब्ल्यूजेड में इकाईयों द्वारा किया गया निर्यात

भारतीय स्कीम से सेवा निर्यात (एसईआईएस)

3.07 उद्देश्य

भारतीय स्कीम से सेवा निर्यात का उद्देश्य भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है।

3.08 पात्रता

(क) भारत में स्थित, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा अधिसूचित किया जाए, एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल दिया जाएगा। केवल इस नीति के पैरा 9.51(i) और पैरा 9.51(ii) के अनुसार दी गई सेवाएं ही पात्र होगी। अधिसूचित सेवाएं और प्रतिफल की दरें परिशिष्ट 3ड. में सूचीबद्ध की गई हैं।

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता, जिनके पास गत वित्त वर्ष में 15,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय हो, वे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र

होंगे। व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं और एकल स्वामित्व के लिए गत वित्त वर्ष में 10,000/- अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय का मानदंड होगा।

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा शुल्क आय के लिए, भारतीय रुपयों में किया गया भुगतान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य विदेशी मुद्रा में प्राप्ति मानी जाएगी। ऐसी सेवाओं की सूची परिशिष्ट 3ड. मे दर्शाई गई है।

(घ) योजना के लिए निवल विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार परिभाषित की गई है। निवल विदेशी मुद्रा= विदेशी मुद्रा की सकल आय घटा कुल खर्च/भुगतान/वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा विदेश मुद्रा का प्रेषण,

(ड.) यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता और साथ ही साथ सेवा प्रदाता भी है तो विदेशी मुद्रा आय और कुल खर्च/भुगतान/प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए विचारणीय होगा।

(च) योजना के अधीन प्रतिफल के दावे में, सेवा प्रदाता ऐसे दावे के प्रतिफल के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करते समय सक्रिय आईईसी धारक होना चाहिए।

3.9 एसईआईएस के तहत अपात्र श्रेणियाँ

(1) सेवा क्षेत्र से भिन्न सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा प्रेषण की गणना हकदारी के लिए नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अन्य साधनों से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी, दान, ऋण की अदायगी इत्यादि और अन्य साधनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा जो सेवा से संबंधित नहीं है, पात्र नहीं होगी।

(2) इस स्कीम के तहत हकदारी की गणना के लिए निम्नलिखित को नहीं माना जाएगा

(क) विदेशी मुद्रा प्रेषणः

I. वित्तीय सेवा क्षेत्र से संबंधित
   (i) सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना
   (ii) ग्राहकों के निर्यात आय की प्राप्ति
   (iii) एडीआर/जीडीआर अथवा ऐसे अन्य साधनों के जरिए विदेशी इक्विटी को जारी करना
   (iv) विदेशी मुद्रा बांड जारी करना
   (v) प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बिक्री
   (vi) अन्य प्राप्तियाँ जो वित्तीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से नहीं जुडी हैं; और

II. करार/विदेशों मे नियमित रोजगार के जरिए प्राप्त धन (जैसे मजदूरी से प्राप्त धन)

(ख) ईईएफसी खाते से प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतानः

(ग) स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे इक्विटी भागीदारी, दान आदि।

(घ) शैक्षिक संस्थानों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे इक्विटी भागीदारी, दान आदि।

(ड.) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी स्कीमों के अधीन कार्य कर रही यूनिटों की सेवाओं से संबंधित निर्यात कारोबार या ऐसी यूनिटों को की गई सेवाओं की आपूर्ति;

(च) डीटीए सेवा प्रदाताओं के कारोबार के साथ एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटी पीआई/बीटीपी यूनिटों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारोबार को जोड़कर और

(छ) माल का निर्यात।

(ज) भारत की सीमा को बिल्कुल न छूने वाली किसी एक देश से किसी दूसरे देश को जाने वाली एयर लाइन और नौपरिवहन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा से अर्जित विदेशी मुद्रा।

(झ) दूर-संचार क्षेत्र के सेवाप्रदाता ।

3.10 एसईआईएस के तहत हकदारी

पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के परिशिष्ट 3घ में दी गई अधिसूचित दरों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होंगे।

3.11 एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों द्वारा परेषण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए निर्यात मूल्य के परिकलन के लिए अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा को भी ध्यान मे रखा जाएगा।

3.12 स्कीमों (एमईआईएस तथा एसईआईएस) की प्रभावकारी तिथि

स्कीमें इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी अर्थात इस नीति की अधिसूचना की तिथि को अथवा बाद में किए गए निर्यात/प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमईआईएस/एसईआईएस के तहत प्रतिफल देय होंगे।

3.13 विशेष प्रावधान

(क) सरकार लोकहित में, निर्यात उत्पादों या सेवाओं या बाजारों को विनिर्दिष्ट करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है, जो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की हकदारी के परिकलन के पात्र नहीं होंगे।

(ख) सरकार इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर अधिकतम दर लगाने/दर परिवर्तित करने/प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ग) सरकार परिशिष्ट 3क की वस्तुओं को अधिसूचित भी कर सकती है जिसे आयात के मामले में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से निकलने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) इस अध्याय के तहत आईईसी धारक के लिए किसी भी समय सरकार किसी भी प्रकार की वस्तु (वस्तुओं) के अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर सकती है अथवा लाभों को सीमित कर सकती है।

भारत की स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) से निर्यात के लिए सामान्य प्रावधान

3.14 माध्यमिक व्यवस्था

इस नीति की अधिसूचना की तिथि तक निर्यात किए गए माल के लिए अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, जो कि माल के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के अधीन पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए अन्यथा पात्र थीं तथा ऐसी वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं हेतु इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि को अथवा इसके पश्चात लागू/जारी की गई स्क्रिप हेतु उस समय मौजूदा नीति और पात्रता, हकदारी, हस्तान्तरणीयता, स्क्रिप के प्रयोग और वस्तुओं के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए यथा समय लागू अन्य किसी शर्त से संबंधित नीति और प्रक्रिया ऐसी स्क्रिप के लिए लागू होगी।

3.15 सेनवैट/शुल्क वापसी

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन डेबिट के माध्यम से अथवा नकद अदा किए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क/सेवा कर को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन डेबिट के माध्यम से अथवा नगद अदा किए गए मूल सीमाशुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा।

3.16 पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.34 के प्रावधानों में पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

3.17 निर्यात निष्पादन का अन्तरण

(क) एक आईईसी धारक से दूसरे आईईसी धारक को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो, उसकी निर्यात निष्पादन/कारोबार की गणना तभी की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और यह ई-बीआरसी/एफआईआरसी से प्रमाणित हो।

(ख) तथापि, एमईआईएस, के लिए लाभ या तो सहायक विनिर्माता (कम्पनी/फर्म जिसने सीधे विदेश से विदेशी मुद्रा अर्जित की है से, डिसक्लेमर सहित) या कम्पनी/फर्म जिसने विदेश से सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित की है, दावा कर सकता है।

3.18 निर्यात दायित्व चूक तथा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों के माध्यम से शुल्क प्राप्त करने के मामले में सीमाशुल्क के भुगतान की सुविधा

(क) इस नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमाशुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। ऐसा उपयोग/प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में होगा जो इन संबंधित स्कीमों के तहत आयात करने के लिए अनुमत है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद करना होगा।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के तहत विदेश व्यापार नीति के अधीन संयोजन शुल्क के भुगतान के लिए, विदेश व्यापार नीति के अधीन आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए यदि कोई हो और निर्यात दायित्व में मूल्य में आने वाली कमी के भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का भी प्रयोग किया जा सकता है।

3.19 आपदा प्रबंधन प्रणाली

(क) आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में होगी जिससे डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक महीने कम्प्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक स्कीम के तहत प्रत्येक आरए के लिए 5 प्रतिशत मामलों को चुनेगी जहाँ स्कीम को पहले से ही जारी किया गया हो। आरए इसके बदले इन सभी चुने गए मामलों में आगे विस्तार से जाँच करने के लिए मूल दस्तावेजों को मांग सकता है। यदि ऐसी जांच पर कोई असंगति और/अथवा

अतिरिक्त दावा पाया जाता है, तो आवेदक इस असंगति को सुधारने के और/अथवा स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर सीमाशुल्क विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष में स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28क(क) के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की दर के साथ दावों की नकद वापसी करने के दायित्व के अधीन होगा। तथापि स्क्रिप का वास्तविक धारक ऐसे अतिरिक्त दावे की वापसी, आंशिक रूप से प्रयुक्त अथवा पूर्ण रूप से अप्रयुक्त स्क्रिप का अभ्यर्पण करके बिना ब्याज के कर सकता है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकरण लैंडिंग प्रमाण पत्र, एएनएफ से साथ संलग्न अनुलग्नक अथवा किसी अन्य दस्तावेज जिसे स्क्रिप जारी करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय डिजिटल रूप से अपलोड किया गया हो, का मूल प्रमाण मांग सकता है। ऐसे मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर आवेदक प्रदान किए गए प्रतिफल को स्क्रिप जारी करने की तिथि से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28क(क) में निर्धारित ब्याज की दर के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। आवेदक इन दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों इत्यादि को स्क्रिपों के जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक संभाल कर रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.20 स्तर धारक

(क) स्तर-धारक व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्टता हासिल की है और भारत के विदेश व्यापार में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। स्तर-धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल भारत के निर्यातों में योगदान देते हैं अपितु नए उद्यमकर्त्ताओं को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें।

(ख) आयात-निर्यात कोड (आईईसी) वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक एक स्तर-धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्तर-धारक की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 मे दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने पर स्तर-धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा निर्यात आय के एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) मान्य निर्यात के लिए, भारतीय रुपयों में निर्यातों का एफओआर मूल्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को यथा लागू, सीबीईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में प्रतिवर्तित किया जाएगा।

(घ) स्तर प्रदान करने के लिए, निर्यात निष्पादन तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में आवश्यक है।

3.21 स्तर श्रेणी

स्तर श्रेणी	निर्यात निष्पादन एफओबी/एफओआर (परिवर्तित मूल्य के रूप में) (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)
एक स्टार निर्यात सदन	5
दो स्टार निर्यात सदन	25
तीन स्टार निर्यात सदन	100
चार स्टार निर्यात सदन	500
पाँच स्टार निर्यात सदन	2000

3.22 दोहरा महत्व प्रदान करना

(क) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आईईसी धारकों द्वारा निर्यात स्तर प्रदान करने के लिए निर्यात निष्पादन की गणना करने के लिए दोहरा लाभ प्रदान किया जाएगाः-

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।
(ii) आईएसओ/बीआईएस सहित विनिर्माण इकाइयाँ।
(iii) सिक्किम और जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित इकाइयाँ।
(iv) कृषि-निर्यात क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ

(ख) दोहरा लाभ केवल एक स्टार निर्यात सदन स्तर श्रेणी प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा। दोहरे लाभ के ऐसे लाभ अन्य श्रेणियों नामतः दो स्टॉर निर्यात सदन, तीन स्टार, निर्यात सदन, चार स्टार निर्यात सदन और पाँच स्टार निर्यात सदन को स्तर पहचान प्रदान करने के लिए लागू नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में एक पोतलदान केवल एक बार दोहरा लाभ प्राप्त कर सकता है।

3.23 स्तर प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें

(क) एक स्तर धारक का निर्यात निष्पादन अन्य आईईसी धारक को स्थानांतरित करना अनुमत नहीं किया जाएगा। इसलिए, दावा-परित्याग पर आधारित निर्यात निष्पादन की गणना अनुमत नहीं की जाएगी।

(ख) पुनः निर्यात के आधार पर किए गए निर्यातों की गणना पहचान के लिए नहीं की जाएगी।

(ग) स्कोमैट मदों सहित प्राधिकार-पत्र के तहत मदों का निर्यात, निर्यात निष्पादन की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

3.24 स्तर-धारकों के विशेषाधिकार

एक स्तर-धारक निम्नानुसार विशेषाधिकारों का पात्र होगाः-

(क) आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी को स्व-घोषणा के आधार पर प्रदान किया जा सकता है।

(ख) मानदण्ड समिति द्वारा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के अंदर निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि इन्हें विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया-पुस्तक में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(घ) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों पर आवश्यक विचार-विमर्श से छूट। छूट/रसीदें, हालांकि बैकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाएंगा;

(ड.) दो स्टॉर और इससे ऊपर के निर्यात सदनों को राजस्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्यात गोदामों की स्थपना करने हेतु अनुमत किया जाएगा।

(च) तीन स्टॉर और इससे ऊपर के निर्यात सदन सीबीईसी (वेबसाइटः www.cbec/gov.in) के दिशानिर्देशों के अनुरूप मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(छ) स्तर-धारक तरजीही समझौते और संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी खेपों की सुपुर्दगी में प्राथमिकता के हकदार होगें।

(ज) विनिर्माता जो कि स्तर-धारक (तीन सितारा/चार सितारा/पाँच सितारा) भी हैं अपने विनिर्मित माल (अपने आईईएम/ आईएल/एलओआई के अनुसार) को विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहयोग सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत तरजीही प्रबंध के लिए पास करने के उद्देश्य से भारत से प्रवृत्त करने के रूप में स्व-प्रमाणित करने के रूप में सक्षम करेगा। तत्पश्चात स्कीम को शेष स्तर धारकों को प्रसारित किया जा सकता है।

(झ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.108 (घ) के अनुसार विनिर्माता निर्यातक जो कि स्तर-धारक भी हैं यह स्व-प्रमाणित करने के लिए पात्र होगें कि उनका माल भारत में तैयार होता है।

(ञ) स्तर-धारक निर्यात संवर्धन के लिए दस लाख की वार्षिक सीमा अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, की शर्त के अधीन बगैर मूल्य के आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे।

अध्याय - 4
शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम

4.00 उद्देश्य

इस अध्याय के तहत स्कीमें निविष्टियों की प्रतिपूर्ति अथवा शुल्क छूट सहित निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को सक्षम बनाती हैं।

4.01 स्कीम

(क) शुल्क छूट स्कीम में

शुल्क छूट स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र (ए ए)(जिसमें वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सम्मिलित है)

(ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए)

(ख) शुल्क छूट स्कीम।

राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित शुल्क वापसी स्कीम (डी बी के)

4.02 नीति और प्रक्रिया की अनुपयोज्यता

इस अध्याय के तहत प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसरण में जारी किया जाएगा।

4.03 अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हेतु जारी किया जाता है, जो कि निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से सम्मलित है (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) इसके अतिरिक्त ईंधन, तेल, उत्प्रेरकों जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/प्रयुक्त किए जाते हैं, भी अनुमत होंगें।
(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र को परिणामी उत्पाद से संबंधित निविष्टियों के लिए निम्नलिखित आधार पर जारी किया जाता है।

(i) मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड सिओन (सिओन) (प्रक्रिया पुस्तक में उपलब्ध) के अनुसार अधिसूचित

अथवा

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्वः घोषणा-पत्र के आधार पर

4.04 मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

आईटीसी(एचएस) के अध्याय-9 के तहत शामिल मसालों का शुल्क मुक्त आयात केवल तेल ओलियोरेजिन्स की पेषण/घर्षण/घिसना/अनुर्वरता/उत्पादन जैसे कार्यकलापों के लिए अनुमत होगा। मात्र सफाई, श्रेणीकरण, पुनर्पैकिंग आदि के लिए प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा।

4.05 पात्र आवेदक/निर्यात/ आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माणकर्ता निर्यातकों या व्यापारी निर्यातक जो सहायक विनिर्माताओं से संबंद्ध है, को जारी किया जा सकता है।

(ख) गैर उल्लघंनीय (एनआई) प्रक्रिया निर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र (प्रक्रिया पुस्तक के खण्ड-**I** के पैराग्राफ 4.18 में यथानिर्दिष्ट) केवल विनिर्माणकर्ता निर्यातकों के लिए जारी होगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्न के लिए जारी किया जाएगाः

(i) वास्तविक निर्यात (एसई जैड को किए निर्यात सहित)**;**

(ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ**;** और/अथवा

(iii) इस विदेश व्यापार नीति के पैराग्राम 7.02(ख),(ग),(ड.),(च),(छ) और (ज) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए माल की अपूर्ति।

(iv) ऐसे विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर 'स्टोर्स' की आपूर्ति इस शर्त के अधीन होगी कि आपूर्ति की गई मदों के संबंध में विशिष्ट मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड हैं।

4.06 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) में अधिसूचित मदों के लिए जारी होगा, और यह विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.03(ख)(ii) के तहत तदर्थ मानदण्डों के मामलों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

(ii) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र सिओन के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर निविष्टि की कोई भी मद परिशिष्ट 4ञ में आती है।

4.07 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त

(i) निर्यातक जिनका विगत में निर्यात निष्पादन है (न्यूनतम पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में), वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पात्र होंगे।

(ii) आयातों को सीआईएफ मूल्य के अनुसरण में वास्तविक निर्यात के एफओबी मूल्य के 300% और/अथवा विगत वित्तीय वर्ष में मान्य निर्यात के लिए अथवा एक करोड़ रु0 जो भी अधिक हो, हकदारी होगी।

4.08 मूल्यवर्धन

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ मूल्यवर्धन (रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा जिसके लिए मूल्यवर्धन विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.38 में निर्धारित किया गया है) निम्न वत होगाः

मूल्य वर्धन = $\frac{\text{ए-बी}}{\text{बी}}$ 100 x जहाँ पर

ए = किए गए निर्यात का एफओबी मूल्य/प्राप्त की गई आपूर्ति का एफओआर मूल्य

बी = प्राधिकार-पत्र द्वारा शामिल निविष्टियों का सीआईएफ मूल्य तथा साथ में प्रयुक्त की गई अन्य कोई निविष्टियाँ जिस पर डीबीके लाभ का दावा किया गया है अथवा दावा किया जाना है।

4.09 न्यूनतम मूल्यवर्धन

(i) अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत प्राप्त किए जाने हेतु न्यूनतम मूल्य वर्धन 15 % है।

(ii) निर्यात उत्पाद जहाँ पर मूल्यवर्धन 15% से कम हो सकता है, को परिशिष्ट 4घ में दिया गया है।

(iii) ऐसा वास्तविक निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है, वह परिशिष्ट-4घ में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

(iv) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-**I** के पैराग्राफ सं0 4.61 में दिया गया है।

(v) चाय के आयात के मामले में, न्यूनतम मूल्यवर्धन 50% होगा।

4.10 अनिवार्य पुर्जों का आयात

अनिवार्य पुर्जों का आयात जिन्हें परिणामी उत्पाद सहित निर्यात/ आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, को प्राधिकार-पत्र के सीआईएफ मूल्य के 10% की सीमा तक शुल्क मुक्त अनुमत किया जाएगा।

4.11 स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ

(क) निम्नलिखित उत्पादों का आयात स्व-घोषणा आधार पर अनुमत नहीं होगाः-

(i) अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन।

(ii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज।

(iii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत सभी 30% से अधिक मूल सीमा-शुल्क सहित हल्की काली मिर्च (हल्की बैरी) के अलावा सभी मसाले

(iv) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय-8 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/सब्जियाँ जिनके ऊपर 30% से अधिक शुल्क है।

(v) सींग, खुर और पशु का अन्य कोई अंग

(vi) शहद

(vii) अपरिष्कृत संगमरमर, ब्लॉक्स/स्लैब्स और

(viii) अपरिष्कृत ग्रेनाइट

(ix) भेषज उद्योग में प्रयोग किए जाने के अलावा विटामिन।

(ख) विटामिन सहित, परफ्यूम, परफ्यूमरी यौगिकों और विविध संभरण अंशों के निर्यात के लिए, प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-**I** के पैराग्राफ 4.07 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदकों को मानदण्ड समिति के पास प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-**I** के पैराग्राफ 4.06 के तहत आवेदन करना होगा।

(ग) जहॉ पर प्रौद्योगिकी मदों और संबंधित उत्पादों का निर्यात और/अथवा आयात शामिल है, प्राधिकार-पत्र क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के तहत प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केवल एक ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सौंपने पर जारी किया जाएगा।

4.12 निविष्टियों की गणना

(i) जहाँ पर सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैक्ल्पिक निविष्टि को अनुमत करता है जब तक कि विशिष्ट निविष्टि को (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कर लिया गया है) पोतलदान बिल में दर्शाया/शामिल नहीं कर लिया जाता और ऐसे पृष्ठांकन में जहाँ निविष्टियाँ, संबंद्ध प्रविष्टि बिल के विवरण से मेल खाती हैं, संबंधित प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, प्राधिकार-पत्र में प्रयुक्त (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टि का नाम/विवरण पोतलदान बिल में पृष्ठांकित नाम/विवरण से पूर्णतया मिलना चाहिए।

(ii) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है, तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा निविष्टियों के ऐसे समूह के सामने समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होंगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप में प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों का अनुपात पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(iii) निर्यात दायित्व के निर्वहन (ईओडीसी) के समय अथवा विप्रेषण के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन निविष्टियों को अनुमति देगा जो पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाई गई हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) को की जाने वाली आपूर्तियों और मान्य निर्यात के तहत की गई आपूर्तियों के लिए भी लागू होगा। ऊपर दिए गए ब्यौरे को संगत निर्यात बिल, एआरई-3, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग प्रभावित बीजक/आयात दस्तावेज/घरेलू प्रापण/आपूर्ति हेतु दस्तावेज में दर्शाना होगा।

4.13 कतिपय मामलों में आयात पूर्व शर्त

(i) डीजीएफटी इस अध्याय के तहत अधिसूचना द्वारा निविष्टि हेतु आयात-पूर्व शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

(ii) आयात-पूर्व शर्त के अधीन आयात मदों को परिशिष्ट-4ञ में सूचीबद्ध किया गया है अथवा ये मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) के अनुसार होंगी।

(iii) अपंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात हेतु आयात- पूर्व शर्त अधिरोपित की जाएगी।

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकरण, डम्पिंग रोधी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क और पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क जहाँ भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02 (ग),(घ) और(छ) के अंतर्गत आपूर्तियों के मद्दे आयात को स्वीकार्य डम्पिंग-रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी।

4.15 शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निश्चित और निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वापसी निर्यात उत्पाद में उपयोग की गई शुल्क प्रदत्त आयातित अथवा स्वदेशी निविष्टियों (जो मानदण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं है) के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन हेतु, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त निविष्टियों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना होगा। आवेदन में उल्लिखित

ब्यौरे के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रिम प्राधिकार-पत्र में ऐसी प्रदत्त निविष्टि शुल्कों के ब्यौरे को स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित भी करना होगा।

4.16 अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित सामग्री 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त के अधीन होगी। यह निर्यात दायित्व पूरा किए जाने के पश्चात भी हस्तांतरणीय नहीं होगी। तथापि प्राधिकार पत्र धारक के पास निर्यात दायित्व के पूरा हो जाने पर शुल्क मुक्त निविष्टि से विनिर्मित उत्पाद का निपटान करने का विकल्प होगा।

(ii) निर्यातित दायित्व के पूरा होने के पश्चात् भी यदि निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, तो इस अग्रिम प्राधिकार पत्र से आयातित माल का उपयोग या तो समान कारखाने के भीतर अथवा बाहर (सहायक के विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जाएगा। इसके लिए, प्राधिकार पत्र धारक निर्यातक के विकल्प पर निर्यात दायित्व निपटान प्रमाणपत्र हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते समय या तो संबंधित क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट/रद्दी का निपटान जैसा कि अनुमत है, निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के कहीं पहले स्वीकार्य शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।

4.17 आयात के लिए वैधता अवधि

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात के लिए वैधता अवधि अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 12 माह के लिए होगा।

(ii) मान्य निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की अवधि परियोजना के निष्पादन की संविदा की गई अवधि के साथ सहमियादी (को-टर्मिनस) अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 12 माह, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

4.18 मदों के आयात/निर्यात किए जाने की पात्रता निषिद्ध/प्रतिबंधित/ राज्य व्यापार उद्यम

(i) किसी मद के निर्यात अथवा आयात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के तहत उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि वह मद क्रमशः निर्यात अथवा आयात के लिए निषिद्ध हो। किसी निषिद्ध मद के निर्यात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत दी जा सकती है बशर्ते इसे पृथक रूप से इसमे दी गई शर्तों के अधीन इस प्रकार अधिसूचित किया गया हो।

(ii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मदों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाणपत्र के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मदें ए.आर.ओ.

अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक को समुद्री मार्ग के माध्यम से बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक द्वारा आयात के लिए ''अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)'' जारी करने की अनुमति है। प्राधिकार पत्र धारक को उन ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' के मद्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य व्यापार उद्यम को प्रस्तुत करनी होगी और राज्य व्यापार उद्यम, ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे और इसकी एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेजेंगे।

(iii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा निर्यात के लिए आरक्षित मदें संबंधित राज्य व्यापार उद्यम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत निर्यात की जा सकती हैं ।

(iv) प्रतिबंधित मदों का आयात अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत अनुमत होगा ।

(v) तथापि, प्रतिबंधित/स्कोमैट मदों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की सभी शर्तों अथवा अपेक्षाओं जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत होगा ।

4.19 विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति

अग्रिम प्राधिकार पत्र वहां भी उपलब्ध होगा जहां विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ या सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन के परिकलन हेतु निःशुल्क निविष्टि के अनुमानित मूल्य को आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में जोड़ा जाएगा। तथापि, निर्यात लाभ की प्राप्ति ऐसी निविष्टि के अनुमानित मूल्य को निकाल देने के बाद की धनराशि के समतुल्य होगी।

4.20 निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र धारक आयात के बदले स्वदेशी आपूर्तिकर्ता/राज्य व्यापार उद्यम से सीधे निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्राप्ति अग्रिम निर्गम आदेश (एआरओ), अमान्यकरण पत्र, दुतरफा अन्तर्देशीय साख पत्र के मद्दे की जा सकती है।

(ii) जब घरेलू आपूर्तिकर्ता दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को परिणामी उत्पाद की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के माध्यम से निविष्टि हेतु शुल्क मुक्त सामग्री प्राप्त करना चाहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी अमान्यकरण पत्र जारी करेगा।

(iii) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम निर्गम आदेश जारी करेगा जो विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू आपूर्तिकर्ता को मान्य निर्यात प्रणाली के द्वारा शुल्क वापस लेने में सक्षम बनाता है।

(iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र के साथ ही या उसके बाद अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र जारी कर सकता है।

(v) डीटीए के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र प्राप्त किए बिना ईओयू/ईएचटीपी/ बीटीपी/एसटीपी/एसईजेड यूनिटों से निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

(vi) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम निर्गम आदेश/अमान्यकरण पत्र सुविधा के लिए भी पात्र होंगे।

(vii) अग्रिम निर्गम आदेश/अमान्यकरण पत्र की वैधता प्राधिकार पत्र की वैधता की सहमियादी (को-टर्मिनस) होगी।

4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा

(i) यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो निर्यात लाभ मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात लाभ प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.43 में दिए गए हैं।

(ii) रूपए भुगतान क्षेत्र (आरपीए) (जिसके लिए भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है) के लिए परिशिष्ट-4ग में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

(iii) एसईजेड यूनिटों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान की प्राप्ति हुई हो।

(iv) एसईजेड विकासकर्ताओं/सह-विकासकर्ताओं को किए गए निर्यात को भारतीय रुपए में भुगतान होने के बावजूद निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु भी ध्यान में रखा जा सकता है।

(v) प्राधिकार पत्र धारक के लिए एसईजेड नियमावली, 2006 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजेड यूनिट/विकासकर्ता/ सह-विकासकर्ता को किए गए निर्यात के लिए निर्यात बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.22 निर्यात दायित्व

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तिथि से 18 मास तक होगी अथवा जैसा कि डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(ii) मान्य निर्यात श्रेणी अथवा विदेश में टर्नकी परियोजनाओं के तहत भारत में टर्नकी परियोनाओं की आपूर्ति के मामलो में, निर्यात अवधि परियोजना के कार्यान्वयन की संविदात्मक अवधि अथवा 18 महीने, जो भी अधिक हो, के साथ सह-मियादी (को-टर्मिनस) होगी।

(iii) रक्षा सैन्य सामान विमान निर्माण तकनीक और आणविक उर्जा की श्रेणियों में आने वाली मदों के लिए निर्यात दायित्व, प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 24 महीने अथवा निर्यात आदेश की संविदात्मक अवधि जो भी अधिक हो के साथ सह-मियादी होगा।

(iv) विशिष्ट निविष्टियों हेतु निर्यात दायित्व अवधि प्रत्येक खेप की स्वीकृति की तिथि से परिशिष्ट 4-ञ में दी गई है।

4.23 बीआईएफआर/पुर्नवास के अंतर्गत आने वाली इकाई हेतु निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में विस्तार

ऐसी कंपनी जो अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक है और बीआईएफआर राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के साथ पंजीकृत हों अथवा ऐसी फर्म/कम्पनी जिसने अग्रिम प्राधिकार पत्र धारण करने वाली यूनिट का अधिग्रहण किया हो, को परिचालन एजेन्सी द्वारा तैयार किए गए तथा बीआईएफआर/ राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार अधिगृहित यूनिट द्वारा धारित अग्रिम प्राधिकार पत्र(पत्रों) हेतु निर्यात दायित्व विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। यदि जिस अवधि तक निर्यात दायित्व विस्तार प्रदान किया जाना है, का बीआईएफआर आदेश में उल्लेख न किया गया हो, तो निर्यात दायित्व अवधि (विस्तार की गई अवधि सहित) की समाप्ति की तारीख अथवा बीआईएफआर आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, से दो वर्ष का निर्यात दायित्व विस्तार संयोजन शुल्क के बिना प्रदान किया जा सकता है।

4.24 शुल्क मुक्त/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात माल का पुनः आयात

अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात माल को उसी रूप में अथवा काफी हद तक उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते राजस्व विभाग द्वारा ऐसा उल्लेख किया गया हो। प्राधिकार पत्र धारक ऐसे पुनः आयात के बारे में पुनः आयात की तारीख से एक मास के अन्दर उस क्षेत्रीय प्राधिकरण को भी सूचित करेगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया था।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम (डीएफआईए)

4.25 डीएफआईए स्कीम

(क) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन में खपत/उपयोग किए जाने वाले तेल, उत्प्रेरक को भी अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 और 4.24 के प्रावधान डीएफआईए पर लागू होंगे।

4.26 छूट दिए जाने वाले शुल्क और सेनवैट और शुल्क वापसी की ग्राह्यता

(i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र में केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

(ii) गैर-छूट प्राप्त अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद-शुल्क राजस्व विभाग के नियमानुसार सेनवैट क्रेडिट में समायोजित कर दिया जाएगा।

(iii) शुल्क वापसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और स्थिर की गई दर के अनुसार शुल्क प्रदत्त की गई निविष्टियों के लिए उपलब्ध होगी, निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त वे निविष्टियाँ चाहे आयातित हों अथवा स्वदेशी।

तथापि, सिओन में अविनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए यदि शुल्क-वापसी का दावा किया गया है तो आवेदक को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन-पत्र में शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए और आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के शर्त पत्र में, शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए।

4.27 पात्रता

(i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निर्यात के पश्चात ऐसे उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा जिनके लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) व्यापारी निर्यातक द्वारा निर्यात प्रलेख अर्थात पोत लदान बिल/वायु मार्ग बिल/निर्यात बिल/एआरई-1/एआरई-3 पर निर्यात उत्पाद के सहायक उत्पादक का नाम और पते का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।

(iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.28 न्यूनतम मूल्य संवर्धन

न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसी वस्तुएं जिनका परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 4ग में अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत उच्चतर मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, उसी मूल्य संवर्धन को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र में भी लागू किया जाएगा।

4.29 डीएफआईए की वैधता एवं अंतरण

(i) डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात शुरू करने से पूर्व आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(ii) निर्यात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग और फाइल संख्या सृजित किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा करना होगा।

(iii) निर्यात आपूर्ति करते समय आवेदक निर्यात प्रलेखों अर्थात पोत लदान बिल/वायु मार्ग बिल/निर्यात बिल/एआरई-1/एआरई-3, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से प्रमाणित बीजक पर फाइल सं. इंगित करेगा।

(iv) निर्यात पूरा होने पर आय की प्राप्ति के बाद निर्यात की तिथि से 12 मास की अवधि अथवा निर्यात से आय प्राप्ति की तिथि से छह मास (अथवा रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्ति हेतु अतिरिक्त समयावधि अनुमत किए जाने पर) जो भी बाद में हो, के अंदर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को अंतरण शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जा सकता है।

(v) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.03 के अनुसार आवेदक को फाइल सं0 सृजित होने की तारीख से 24 महीने के बाद आवेदन करने की अनुमति होगी।

(vi) प्रत्येक सिओन और प्रत्येक पत्तन हेतु अलग डीएफआईए जारी किया जाएगा।

(vii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 में दिए गए उल्लेख के अनुसार डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात एक ही पत्तन से किया जाएगा।

(viii) किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जिसके लिए किसी निविष्टि के लिए सिओन में 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त निर्धारित हो।

(ix) क्षेत्रीय प्राधिकरण डीएफआईए को इसे जारी किए जाने की तिथि से 12 मास की वैधता के साथ जारी करेगा। अंतरण के पृष्ठांकन के बाद क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा आगे कोई वैधता प्रदान नहीं की जाएगी।

4.30 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें

(क) अंतिम उत्पादों के लिए अपेक्षित निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में निर्यातक द्वारा पोतलदान बिल में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशिष्टता संबंधी घोषणा प्रदान करना अपेक्षित होगा।

''स्टेनलेस स्टील सहित मिश्रधातु स्टील, कॉपर मिश्रधातु, कृत्रिम रबड़, बियरिंग्स, साल्वेंट, परफ्यूम/खाद्य तेल/सुगंध युक्त रसायन, सर्फेक्टेंट, संबंधित वस्त्र, मार्बल, पोलीप्रोपिलिन से बनी वस्तुएं,कागज और कागज बोर्ड से बनी वस्तुएं, सीसा इन्गाट, जिंक इन्गाट, सिट्रिक एसिड, संबंधित ग्लास फाइबर रिइन्फार्समेंट (ग्लास फाइबर, चाप्ड/ स्ट्रेंडिड मैट, रॉविग वोवन सर्फेसिंग मैट), संबंधित सिंथेटिक रेजिन (अन्सेचूरेटिड पालीस्टर रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सिल इथाइल सेल्यूलोज), लाइनिंग सामग्री''

(ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय प्राधिकरण प्राधिकार पत्र में इन निविष्टियों के संबंध में उल्लेख करेगा।

रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम

4.31 निविष्टि का आयात

रत्न एवं आभूषण के निर्यातक निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात/को प्राप्त कर सकते हैं।

4.32 निर्यात की मदें

निम्नलिखित मदें, यदि उनका निर्यात किया जाता है, सुविधाओं के लिए पात्र होंगीः

(i) पदकों और सिक्कों (वैध नर्म सिक्कों को छोड़कर) चाहे वे समतल हों अथवा भरे हुए हों, जिनमें 8 कैरेट या अधिक सोना हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण अथवा वस्तुओं सहित स्वर्ण आभूषण;

(ii) पदकों और सिक्कों (वैध नर्म सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी की वस्तुएं, चांदी की स्ट्रिप्स और वस्तुओं सहित चांदी के आभूषण;

(iii) पदकों और सिक्कों (वैध नर्म सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक प्लैटिनम हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण और वस्तुओं सहित प्लैटिनम आभूषण।

4.33 योजनाएं

योजनाएं निम्नवत हैं:

(i) नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम अदायगी/प्रतिपूर्ति;

(ii) रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र;

(iii) उपभोज्यों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र;

(iv) कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र।

4.34 नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/प्रतिपूर्ति

(i) माउंटिंग्स और फाइनडिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रूप से अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में, निर्यात उत्पाद की निविष्टि के रूप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) निर्यात प्रक्रिया-पुस्तक के क्रमशः पैराग्राफ 4.60 और 4.61 में यथाविहित अपशिष्ट मानदंडों और न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

4.35 रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र

(i) निर्यातक प्रक्रिया-पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण से रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात के अधीन जारी किया जा सकता है जिसमें नामित एजेंसी (एफटीपी का पैराग्राफ 4.41) और विदेशी खरीदार (एफटीपी का पैराग्राफ 4.45) द्वारा आपूर्ति के अधीन बनावट शामिल है।

(iii) सादे अथवा भरे हुए सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे प्राधिकार-पत्र का मूल्य निर्धारित न्यूनतम मूल्यवर्धन के आधिक्य में प्राप्ति के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाएगा। रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा।

(iv) प्रतिपूर्ति दर और आयात की मद प्रक्रिया-पुस्तक आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 4छ के अनुसार होगी।

4.36 उपभोज्यों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र

(i) विगत वर्ष के निर्यातों के मूल्य के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर कीमती धातुओं (सोने और प्लैटिनम के अलावा) से बने हुए आभूषण के लिए उपभोज्यों, टूल्स और अन्य मदों नामतः टैग्स एवं लेबल्स, कार्ड पर सुरक्षा सेंसर, स्टेपल कयर, पोली बैग

(सीमा-शुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित) और विगत वर्ष के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और सोने और चांदी से बने हुए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। तथापि, रोडियम के तैयार किए हुए चांदी के आभूषणों पर ऐसे आभूषणों के लिए एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत की हकदारी होगी। यह प्राधिकार-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

(ii) ऊपर दिए गए उपभोज्यों के आयात के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 4ज में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.37 कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र

(क) इनके शुल्क मुक्त आयात के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त के साथ आयात-पूर्व आधार पर अग्रिम प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जाएगाः

(i) 0.995 तक की शुद्धता का सोना और 8 कैरेट या अधिक के माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स और फाइंडिंग्स;

(ii) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिग्स जिनमें भार के रुप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो ।

(iii) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिग्स जिनमें भार के रुप में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो ।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी जिसे प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 और प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा 4.61 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा।

4.38 मूल्यवर्धन

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 में दिए गए हैं। इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

$$\text{वी. ए} = \frac{\text{ए} - \text{बी}}{\text{बी}} \times 100$$ जहाँ

ए. प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

बी. निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्ति सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम का अंश तथा रत्न आदि जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अपशिष्ट। जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा ।

4.39 छीजन मानदंड

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 के अनुसार ग्राह्य होगी।

4.40 डीएफआईए की अनुपलब्धता

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.41 नामित एजेंसियां

(i) निर्यातक (ईओयू और एसईजेड में यूनिट को छोड़कर) नामित एजेंसी से स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ईओयू के निर्यातक और एसईजेड की यूनिट क्रमशः विदेश व्यापार नीति के अध्याय-6 के प्रावधानों/एसईजेड नियमावली से अभिशासित होंगे।

(ii) नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी), एस टी सी एल लि0, एम एम टी सी लि0, डायमण्ड इण्डिया लि0 (डी आई एल)।

(iii) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के चार सितारा निर्यात सदन और अन्य क्षेत्र के पांच सितारा निर्यात सदन को नामित एजेंसियों के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।

(v) नामित एजेंसी (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और ई ओ यू और एस ई जैड स्कीमों के तहत संचालित रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) द्वारा बहुमूल्य धातु के आयात के लिए प्रक्रिया और उनकी निगरानी प्रणाली, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी ।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छीज़न का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है ।

4.42 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात

निम्नलिखित एजेन्सी का उनके द्वारा प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन के लिए उनकी प्रयोगशालाओं हेतु हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगाः

(i) जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) मुम्बई, महाराष्ट्र

(ii) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात

(iii) इंटरनेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ डायमंड ग्रेडिंग एण्ड रिसर्च इंडिया, प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, इंडिया

4.43 कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात

0.25 कैरेट और ऊपर के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 में दी गई है।

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु0 के निर्यात की वार्षिक कुल बिक्री हो) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क की पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

4.45 विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात

(i) चूंकि निर्यात आदेश नामित किए गए अभिकरणों/स्तर धारकों/तीन वर्षों के अनुभव वाले ऐसे निर्यातकों को दिया गया है जिनकी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत कुल बिक्री 5 करोड़ रुपये की हो, इसमें विदेशी खरीदार प्रभार मुक्त सोने/चांदी/प्लेटिनम/मिश्र धातुओं, विनिर्माण और निर्यात हेतु सोने/चांदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग्स की अग्रिम आपूर्ति कर सकते हैं।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति अग्रिम रूप से भी की जा सकती है तथा इसमें निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अधीन मरम्मत/पुनः निर्माण तथा निर्यात हेतु फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स/पुर्जों सहित अर्द्ध-तैयार गहने शामिल हो सकते हैं। निर्यात के ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.60 के अनुसार अपव्यय मानदंड लागू होंगे।

(iii) निर्यात नामित अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके सहायकों अथवा स्तर धारकों/निर्यातकों के माध्यम से किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात निवल आधार पर किया जाएगा।

4.46 निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात

(i) वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से नामित एजेन्सियाँ और उनके सहयोगी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुमोदन सहित वाणिज्य विभाग और अन्य के अनुमोदन से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।

(ii) स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक, में दी गई शर्तों के अधीन हों।

4.47 निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने-ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4.48 डाक द्वारा निर्यात

विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है, आभूषण के पार्सल भार के रुप में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

4.49 निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम

तराशे और पॉलिश किए गए हीरों, तराशे और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों, बिना तराशे गए और बिना जड़े गए कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात और पुनर्निर्यात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र/डीटीए में निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं, जो डीटीए इकाइयों द्वारा 5% के न्यूनतम मूलयवर्द्धन के अधीन होंगे।

4.50 हीरे और जवाहरात संबंधी डॉलर खाते

(क) अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए गए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/रहित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती हैं ।

(ख) ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा-

(i) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद;

(ii) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,

(iii) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों की चुकौती, और

(iv) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तातंरण। इस हीरा डॉलर खाता(डी डी ए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक में दिये गये हैं।

(ग) गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडीए धारक को आपूर्ति करने, भुगतान डालर में लेने तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलने की अनुमति है। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व की पूर्ति के रूप में माना जाएगा और/या उसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्रदान करेगा।

4.51 परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमन के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी । पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा।

4.52 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, के पैरा 4.91 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात करने की अनुमति होगी ।

4.53 खेप आधार पर निर्यात और आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात और आयात की अनुमति होगी।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

5.0 उद्देश्य

ईपीसीजी स्कीम का उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत माल के आयात को सुविधाजनक बनाना है।

5.01 ईपीसीजी स्कीम

(क) ईपीसीजी स्कीम में शून्य सीमाशुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्च के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई है। वैकल्पिक रूप से प्राधिकार पत्र धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल प्राप्त कर सकते हैं। ईपीसीजी स्कीम के लिए निम्नलिखित पूंजीगत माल शामिल होंगे।

(i) सीकेडी/एसकेडी की शर्त सहित अध्याय 9 में यथा परिभाषित पूंजीगत माल;
(ii) कम्प्यूटर सॉप्टवेयर प्रणाली;
(iii) प्रारंभिक संरेखन के लिए स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाई,जिग्स फिक्चर्स औजार और रिफैक्ट्रीज और स्पेयर रिफैक्ट्रीज; एवं
(iv) प्रारंभिक प्रभार और बाद के प्रभार के लिए कैटेलिस्ट।

(ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना आयात के लिए पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि के बाद 6 वर्षों तक पूरा किए जाने वाले पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की शर्तों के अधीन किया जाएगा।

(घ) आयात के लिए प्राधिकार पत्र, प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 18 महीने तक वैध रहेगा। ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर प्रतिकारी शुल्क (सी वी डी) नकद रुप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि सैनवेट का लाभ न उठाया गया हो।

च) ईपीसीजी स्कीम के तहत पुराने पूंजीगत माल का आयात अनुमत नहीं होगा।

(छ) ईपीसीजी स्कीम के तहत निम्नलिखित के लिए किसी पूंजीगत माल (कैप्टिव संयंत्र और किसी भी किस्म के विद्युत उत्पादन सेट सहित) के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगाः

(i) विद्युत उर्जा का निर्यात (विद्युत)

(ii) मान्य निर्यात के तहत विद्युत उर्जा (विद्युत) की आपूर्ति

(iii) विद्युत (उर्जा) का अपनी यूनिट में उपयोग; तथा

(iv) विद्युत प्रेषण सेवाओं की आपूर्ति/निर्यात।

(ज) ईपीसीजी स्कीम के तहत मदों, जो आयात के लिए प्रतिबंधित हैं, का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) की एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) से अनुमोदन के बाद ही अनुमत होगा।

(झ) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाला माल निर्यात हेतु प्रतिबंधित है तो ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को मुख्यालय की एक्जिम सुविधा समिति से निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

5.02 कवरेज

(क) ईपीसीजी स्कीम में सहायक विनिर्माता(ओं)/सेवा प्रदाता(ओं), उनके बिना विनिर्माता निर्यातक, सहायक विनिर्माता (ओं)/सेवा प्रदाता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। तथापि, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के मामले में सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत वस्तुओं के संस्थापन से पहले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) का नाम पृष्ठांकित किया जाएगा। सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) में कोई बदलाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी इस बदलाव के बारे में क्षेत्राधिकार के मौजूदा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ-साथ बदले गए सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) और प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग को सूचित करेगा।

(ख) विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम में वह सेवा प्रदाता भी शामिल है, जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट शहर में स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित/प्रमाणित हैः-

(i) सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निर्यात में संबंधित पोत लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के ब्यौरे शामिल होगें तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ता ब्यौरों के विषय में सूचित करना होगा ।

(ii) ऐसे निर्यात को अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों(सीएसपी/प्रयोक्ता का) से संबंधित विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने हेतु गिना नहीं जाएगा; तथा

(iii) बचाए गए शुल्क की राशि के बराबर की बैंक गारंटी प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सी एस पी के विकल्प पर, किसी भी प्रयोक्ता द्वारा अथवा सीएसपी द्वारा बैंक गारंटी दी जा सकती है।

5.03 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति होने तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

5.04 निर्यात दायित्व(ईओ)

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते लागू होंगीः-

(क) प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा ऐसे माल जो कि उसके द्वारा अथवा उसके सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाता है/ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जा चुका है के द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

(ख) विस्तार अवधि सहित,यदि कोई हो, कुल निर्यातक दायित्व अवधि में पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में उक्त और उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों का औसत स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.13(क) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर बढ़ाई गयी समयावधि सहित समग्र निर्यात-दायित्व अवधि के भीतर आ वेदक द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उक्त तथा उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों के औसत स्तर से अधिक होगा। यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के निर्यात निष्पादन का गणितीय माध्यम होगा।

(ग) पूंजीगत माल के स्वदेशी प्रापण के मामले में, विशिष्ट निर्यात दायित्व पैरा 5.01 मे निर्धारित निर्यात दायित्व के 25 प्रतिशत से कम होगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत अग्रिम प्राधिकार- पत्र, डीएफआईए, शुल्क वापसी स्कीम अथवा प्रोत्साहन स्कीम के तहत पोतलदान, ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

(ड.) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे । तथापि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02 (क), (ख), (ड.), (च) और (ज) में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे ।

(च) निर्यात दायित्व डीटीए को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो ।

(छ) आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे ।

(ज) परिशिष्ट 3ड. में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए रुपयों मे प्राप्त की गई अदायगी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की विमुक्ति के लिए मानी जाएगी।

5.05 बीआईएफआर/पुनर्वास के तहत यूनिटों के लिए प्रावधान

एक कंपनी जिसके पास ईपीसीजी प्राधिकार पत्र है और जो बीआईएफआर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग या ऐसी फर्म/ कंपनी, जिसके पास ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र धारक एक यूनिट है, जो कि बीआईएफआर/पुनर्वास के तहत हो, के पास पंजीकृत है। आपरेटिंग एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज और राज्य सरकार के बीआईएफआर/ पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार अधिग्रहित यूनिट द्वारा धारित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र (पत्रों) के लिए निर्यात दायित्व विस्तार अनुमत किया जा सकता है। यदि वह समयावधि जब तक निर्यात दायित्व का विस्तार किया जा सकता है, का विशिष्ट रूप से उल्लेख बीआईएफआर आदेश में न किया गया हो, तो निर्यात दायित्व अवधि (विस्तार की गई अवधि सहित) की समाप्ति की तारीख अथवा बीआईएएफआर आदेश की तारीख से 3 वर्ष का निर्यात दायित्व विस्तार संयोजन शुल्क, के बिना प्रदान किया जाएगा।

5.06 कृषि इकाइयों के मामले में एलयूटी/बॉण्ड/बीजा

विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी, जो भी लागू हो, कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को प्रदत्त ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए दी जा सकती है बशर्ते ईपीसीजी प्राधिकार पत्र परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (ओं) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया हो।

5.07 स्वदेशी रुप से पूंजीगत माल प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है । ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा । ऐसी घरेलू प्राप्ति की ई ओ यू से भी अनुमति दी जाएगी और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.9 (क) में उल्लिखित उक्त ई ओ यू द्वारा सकारात्मक एन एफ ई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को गिना जाएगा।

5.08 निर्यात दायित्व की गणना

सीधे आयात के मामले में, निर्यात दायित्व को वास्तविक रूप से बचाई गई शुल्क राशि के संदर्भ मे माना जाएगा। घरेलू प्रापण के मामले में, निर्यात दायित्व को एफओआर मूल्य पर बचाए गए काल्पनिक सीमाशुल्क के संदर्भ में माना जाएगा।

5.09 समय से पहले निर्यात दायित्व पूरा करने हेतु प्रोत्साहन

निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने अब तक प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तथा औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा कर लिया हो तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा । तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.21 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर शीघ्र निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए प्रोत्साहन अनुमत नहीं किए गए हैं।

5.10 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए पैरा 5.1 में यथानिर्धारित निर्यात दायित्व का 75% होगा । पैरा 5.04 में यथानिर्धारित औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा । हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 पैरा 5.29 में दी गई है ।

5.11 उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिटों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व यथालागू पैरा 5.01 में यथा उल्लिखित निर्यात दायित्व का 25% होगा । पैरा 5.04 में यथा उल्लिखित लगाया गया, औसत निर्यात दायित्व यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.12 पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स)

(क) पश्च-निर्यात ई पी सी जी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) उन निर्यातकों के लिए उपलब्ध होंगी जो नकद रुप से लागू शुल्कों के पूर्ण नकद भुगतान से पूंजीगत माल आयात करना चाहते हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं।

(ख) पूँजीगत माल पर अदा किए गए मूल सीमा शुल्क पर, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के रुप में छूट होगी।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व लागू विशिष्ट ई ओ का 85% होगा, यदि ऐसे पूंजीगत माल के आयात ने शुल्क छूट का लाभ उठाया है। तथापि औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा।

(घ) शुल्क छूट पूरे किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में होगी ।

(ड.) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप्स के उपयोग के लिए जारी किए गए सभी प्रावधान पश्च निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के लिए भी लागू होंगे।

(च) मौजूदा ई पी सी जी स्कीम के सभी प्रावधान लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत नहीं हों ।

अध्याय - छः

निर्यातोन्मुखी यूनिटें (ई ओ यू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) और बॉयो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)

6.00 भूमिका और उद्देश्य

(क) अपने सारे माल के उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यातोन्मुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेकनोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बायो टेक्नोजोली पार्क (बी टी पी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री-मेकिंग, री-कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में साफ्टवेयर तैयार करने, कृषि जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, पशु पालन, बायोटेक्नोलाजी, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन में लगी हो सकती हैं। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

(ख) इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ाना, निर्यात उत्पादन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।

6.01 माल का निर्यात तथा आयात

(क) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और से वाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं।

(ख) विशेष रसायन, जैविक सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। ईओयू के संबंध में अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा एक निषेध वस्तु के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसे कच्चे माल का आयात किया गया हो तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से ऐसे कच्चा माल की अधिप्राप्ति न की गई हो।

(ग) निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोशर/साहित्य, पम्फलैट, होर्डिंग, कैटालॉग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी ।

(घ) निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदामों/भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए

आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो । यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण/लीज पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा ।

(ड.) निर्यातोन्मुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी । तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसंट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था निर्यात अभिमुख इकाइयों के लिए लागू होगी ।

(च) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त डीटीए से आयात/खरीद कर सकती है । साफ्टवेयर ई ओ यू/डी टी ए यूनिटें साफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर सकती हैं ।

छ) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यातोन्मुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ज) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियो से भी सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेन्सियों से सोना/चाँदी/ प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटों को ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज करने की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा ।

(झ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेन्स, यदि कोई हो, के अधीन सेवा यूनिटों के अलावा राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्क्रो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती हैं ।

(ञ) स्पेयर्स/संघटकों की खरीद और निर्यात के 5 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क के बराबर उन्हीं करारकर्त्ता/खरीददार को निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि एन एफ ई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए इनका आकलन नहीं किया जाएगा ।

(ट) अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को शुल्क की अदायगी के बगैर पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू से डीटीए को आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण और ईओयू द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी।

ऐसे मामलो में, खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का मूल्य एनएफई, डीटीए बिक्री हकदारी को माना नहीं जाएगा और ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं से प्राप्त लाभों को आयकर लाभ के योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी । अनुमोदन बोर्ड किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6.02 पुराना पूंजीगत माल

पुराने पूँजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है ।

6.03 पूंजीगत माल के पट्टे

(क) पार्टियों के बीच में हुए पक्के करार के आधार पर कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल खरीद सकते है । ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट शुल्क का भुगतान किए बिना पूंजीगत माल, आयात करने/ खरीदने के लिए संयुक्त रुप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(ख) एक निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी.टी.पी. सॉफ्ट वेयर टेक्नोलोजी पार्क निम्नालिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पट्टे पर वापस दिया जा सकता हैः-

(i) यूनिट को स्मरिसंपत्तियों की ब्रिकी और पट्टे पर वापसी- का लेन-देन करने के लिए क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का विवरण और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएं यूनिट के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।

(iii) यूनिट की निवल विदेशी मुद्रा सकारात्मक होनी चाहिए जब यह एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी के लेन देन को शुरू करती है।

(iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान या व्यतिक्रम जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या इन्हें खरीदा गया है, के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए यूनिट और एन बी एफ सी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता देनी होगी और इन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास रहेगा जिनके पास सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं की संपत्ति

को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत यूनिट की सरकार का बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार रहेगा ।

6.04 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें, परिशिष्टों एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6 ख के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों को छोड़कर जहाँ उच्च मूल्य सवंर्धन की जरुरत होगी, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रुप से गिना जाएगा । जब भी कोई यूनिट परमिट पत्र में शामिल किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध प्रतिबंध के कारण निर्यात करने के लिए अयोग्य हो जाती है, निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों का समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब कभी एक इकाई बाजार की प्रतिकूल स्थिति अथवा इकाई के कार्य पर बुरा असर डालने वाली किसी वास्तविक समस्या के कारण निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) को प्राप्त नहीं कर पाती है तो अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की गणना हेतु पाँच वर्ष की ब्लाक अवधि को एक वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

6.05 अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता:

(क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा । एल ओ पी/एल ओ आई की आरम्भ में वैधता अवधि दो वर्ष होगी ताकि इकाई संयंत्र निर्माण करके मशीनरी स्थापित कर सके तथा इस समय तक इकाई को उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि इकाई 2 वर्षों की प्रारंभिक वैधता में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सकती है तो विकास आयुक्त (डीसी) द्वारा उचित कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए एक वर्ष तक अवधि बढ़ायी जा सकती है। तदुपरांत इकाई अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्ष तक अवधि को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते इकाई को स्थापित करने से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया हो तथा इकाई द्वारा इसके लिए सनदी अभियंता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो, समयावधि को अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे । इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.1 में प्रावधानों के अनुसरण में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा ।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को सुनिश्चित करने में असफल होने पर अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को पूरा न कर सकने पर वह यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड के भागी होंगे और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा निरस्त हो जाएगा ।

6.06 *पूँजी निवेश मानदण्ड*

जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश हो उन पर ही ई.ओ.यू. के रुप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह, मौजूदा यूनिटों और ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी, हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/ पशुपालन/ सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा । अनुमोदन बोर्ड कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

6.07 आवेदन और अनुमोदन

(क) यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ई ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना के आवेदनों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर मंजूरी अथवा नामंजूरी दी जा सकती है ।

(ख) अन्य मामलों में, इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जा सकती है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

(घ) संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ या अधिक के निवेश या वार्षिक रुप से 50 करोड़ रू. या अधिक का निर्यात करने वाली मौजूदा डीटीए यूनिटों को इओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में बदलने के लिए आवेदन अनुमोदन बोर्ड के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा।

6.08 तैयार उत्पाद/ अस्वीकृत माल/ अपशिष्ट/ स्क्रैप/ शेष और उप-उत्पाद की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री

निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों के सारे उत्पादन का निर्यात निम्निलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगाः-

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर, यूनिटें निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकती हैं बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की पूर्ति की गई हो । डी टी ए बिक्री हकदारी के अन्दर, इकाइयाँ यूनिटों से निर्यातित या निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं जैसे माल को डी टी ए में बेच सकती है । तथापि, वे यूनिटें जो एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण एवं निर्यात कर रही हैं, विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के 90 प्रतिशत पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक इनमें से किसी भी उत्पादों को डीटीए में बेच सकती है बशर्ते उपरोक्त निर्धारित यूनिट के निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की संपूर्ण हकदारी कुल डीटीए बिक्री के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इंस्टैंट टी को छोड़कर) काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों, संगमरमर और समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसी अन्य मदों के रियायती शुल्क पर डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पल्वेराइजेशन/ ग्रेन्यूलेशन/ मोनो-हाइड्रेट रुप के रसायन से एनहाइड्रस रुप में परिवर्तन अथवा विलोमतः जुड़ी यूनिटों के मामले में ऐसी डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किया गया हो । डीटीए को की गई बिक्री भी भेषज उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी । सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए में निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा ।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी भी रुप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है ।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटें, डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया हो। सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्त्ता नामित एजेंसियों से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रुप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से उप पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत बिक्री पर यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी । निर्यातों के पोत

पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त के अधीन नहीं होगी ।

(ड़) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रैप/ अपशिष्ट/अवशेष की बिक्री यथा लागू रियायती शुल्क जो निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा का भुगतान करने पर डी टी ए में शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार की जा सकती है। स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेष की ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं है, विकास आयुक्त छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है और

इस अवधि के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे । यूनिटें जो डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं हैं, द्वारा वेस्ट/स्क्रैप/अवशेष की बिक्री अथवा डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री शुल्क का पूर्ण भुगतान करने पर की जाएगी। स्क्रेप/ अपशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की उप पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर लिया गया हो । यूनिटें जो डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें अथवा उप पैरा 6.8(क) की हकदारी के बाहर उपोत्पादों की बिक्री की अनुमति सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर की जाएगी ।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिटों को काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों तथा संगमरमर को छोड़कर तैयार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए में विदेश व्यापार नीति के अधीन पूर्ण शुल्क की अदायगी पर मुक्त रुप से आयात किया जा सकता है बशर्ते इन यूनिटों ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त की हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए में निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगी।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी ।

(ञ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में, जहाँ मूल शुल्क और सी वी डी शून्य है, ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा ।

(ट) नये ई ओ यू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों के 50% से अधिक नहीं होगी, सिवाय भेषज यूनिटों में जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी।

(ठ) कपड़ा एवं ग्रेनाइट क्षेत्रों की यूनिटों के पास उपरोक्त उप-पैरा 6.8(क), (घ),(ड.), (छ) और (ट) के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में वस्तुओं को बेचने का विकल्प रहेगा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत लगाए गए उत्पाद-शुल्क की कुल राशि के बराबर राशि के भुगतान पर या किसी अन्य कानून जो फिलहाल लागू है, के तहत, एक निर्यातोन्मुख इकाई के अलावा भारत में उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तुओं पर लागू होगा बशर्ते उन्होंने शुल्क अदा की गई आयातित निविष्टियों (इनपुटस) का प्रयोग पिछले वर्ष में निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3% से अधिक न किया हो और उन्होंने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली हो । एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लेने पर इकाई को किसी भी उद्देश्य के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों को आयात करने की अनुमति नहीं होगी ।

(ढ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र हेतु स्वीकृत विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य के 2 प्रतिशत तक की जाने वाली पुर्जों/कलपुर्जों की अधिप्राप्ति को बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उसी खेप प्राप्तकर्ता/खरीदार को आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। लागू शुल्क का भुगतान किए जाने पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र संबंधी स्वीकृति दी जा सकती है परन्तु ऐसी स्वीकृति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 6.08(क) में यथा निर्धारित रियायती दर पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई की समस्त पात्रता के अन्दर होगी।

6.09 अन्य आपूर्तियां

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी। ऐसी आपूर्तियों में 'मार्बल' शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि मार्बल की ऐसी आपूर्ति अन्तःयूनिट आपूर्ति हो जैसा कि नीचे उप-पैरा (ग) में बताया गया हैः-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डी एफ आई ए/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियां। तथापि, प्रिंटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क शुल्क और सीवीडी शून्य है या अन्यथा छूट मुक्त है।

(ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।

(ग) अन्य निर्यातोन्मुख इकाई/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलाजी पार्क/एसईजेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की

खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.01 के अन्तर्गत अनुमति दी जा सकती है।

(घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है ।

(ड.) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियाँ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक में व्यवस्था है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्ति ।

(छ) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैंगरों की आपूर्तियाँ ।

(ज) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28-01-2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगीः-

(i) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और

(ii) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एपीजी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी हो।

6.10 अन्य के माध्यम से निर्यात

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

6.11 डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

(क) निर्यातोन्मुख इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों से की गई आपूर्तियों को ''मान्य निर्यात'' समझा जाएगा और आपूर्तिकर्त्ता पर डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के

अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए, जहाँ भी वापसी की अखिल उद्योग दरें उपलब्ध नहीं है, विकास आयुक्त द्वारा ब्राण्ड दरें निर्धारित करवाई जाएँगी ।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(ग) इसके अलावा, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होगी :-

(i) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति।
6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सी एस टी के वापसी में देरी पर देय होगा यदि पूरा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर मामले का निपटान नहीं किया जाता है । (जैसा प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.10.1 में दिया गया है)

(ii) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर, डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट ।

(iii) समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी दर के अनुसार घरेलू तेल कम्पनियों/घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के डिपो से प्राप्त ईंधन पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति । वित्त अधिनियमों के तहत ईंधन पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति भी लागू होगी ।

(iv) अदा किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट ।

6.12 अन्य हकदारियाँ

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित है :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ख) निर्यात आय की वसूली 09 महीनों के भीतर करनी होगी ।

(ग) यूनिटों को ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन रखने की अनुमति होगी।

(घ) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जॉब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का

(i) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का है;

(ii) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है; और

(iii) यूनिट ने :-

1. सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व जहाँ भी लागू है, प्राप्त कर लिया है।

2. धोखा/सांठगांठ/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को छुपाना या उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम के दांडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर या सहयोगी अधिनियम या उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा, के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या पुष्टिकृत मांग जारी नहीं की है ।

(ड.) एस ई जेड यूनिटों की तरह आटोमैटिक रुट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

(च) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में निर्धारित तरीके के अनुसार मासिक आधार पर यूनिटें उत्पादित या विनिर्मित और डी टी ए में निष्पादित वस्तुओं पर शुल्क चुकाएंगी ।

(छ) इकाई अनुमोदन समिति निर्यातोन्मुखी इकाइयों के मध्य मामला दर मामला आधार पर निवेदनों पर विचार करके अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बांटने पर विचार कर सकती है तथा यह अपनी सिफारिश पर विचार किए जाने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय इकाईयों के निवल विदेशी मुद्रा के दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा। ईएचटीपी/ एसटीपी की इकाईयों को ऐसी सुविधाएं आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि निर्यातोन्मुखी इकाईयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाईयों के बीच सुविधाओं को बाटंने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13 अन्तर यूनिट हस्तांतरण

क) निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/ यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के इन-बॉंड-मूवमेंट की प्रक्रिया को अपनाने वाले संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी । ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से एस ई जैड विकासक अथवा यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति भी एस ई जैड नियमावली, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

(ख) संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एचटी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिटों को हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पर दिया जा सकता है । ऐसी हस्तांतरित वस्तुओं को दूसरी इकाई द्वारा मूल इकाई को वापस भी किया जा सकता है यदि मामला अस्वीकृति अथवा बिना शुल्क के भुगतान किसी अन्य कारण का हो।

(ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी ।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों का समूह जो केन्द्रीय रूप से निविष्टियों की प्राप्ति करते हैं ताकि भारी छूट प्राप्त की जाए तथा/अथवा यातायात तथा संभार तंत्र की लागत को कम किया जाए कुशल आपूर्ति श्रृंखला को कायम रखा जा सके इस संबंध में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर माल और सेवाओं के अंतर इकाई हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार प्राप्त निविष्टियों का आयात करने के बाद उन्हें किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जाता है तो एनएफई की गणना के प्रयोजनार्थ इस प्रकार हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य को अंतर्वाह और इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली यूनिट के लिए आउटफ्लो माना जाएगा।

6.14 उप-ठेके

(क) (i) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के जरिये डी टी ए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-ठेका दे सकती हैं जिनमें डी टी ए में यूनिटों द्वारा जॉब वर्क के जरिये माल के रुप या स्वरुप में परिवर्तन करना शामिल है ।

(ii) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकरियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तो में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक ही उप ठेके पर दे सकती हैं ।

(ख) (i) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रुप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क को वापस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी।

(ii) कार्य के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए ।

(iii) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरु कर सकते हैं।

(iv) 'ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी एकक विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप ठेका दे सकते हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकते हैं। विदेशी उप ठेकेदार परिसर से माल का निर्यात करते समय किसी अनुमति की

आवश्यकता नहीं होगी। जब माल को देश में वापस लाया जाएगा, सम्बंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।'

(ग) जाब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रैप/वेस्ट/रेमनन्ट को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से सौदा मूल्य पर लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य ई ओ यू या एस ई जैड या डीटीए में इकाइयों में उपठेका/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

6.15 प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

क) यदि कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो

(i) इन्हें अन्य ई ओ यू/इ एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी/एसइजैड/इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या

(ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात प्राधिकार सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या निर्यात कर सकती है; या

(iii) किया गया निर्यात ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मदों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा ।

(ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो पुराने हो गए/अतिरिक्त हैं या अन्य ई ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाईयों को हस्तांतरण या निर्यात किया जा सकता है । लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यह्रास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रैप/बेस्ट/रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियो को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनिष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का

भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।

6.16 रिंकडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना

(क) निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए यूएसी का स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है । प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13,6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगें।

(ख) ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए आईएमएससी का स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है । प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क), (ख), (ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10,6.13,6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगें।

6.17 आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई और किसी भी कारण से स्वीकार न की गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रुप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके कोई हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलें में वस्तुएं विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं अथवा भारत में उनके अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं/स्वदेशी संभरकों से वापस ली जा सकती है। यूनिट विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के भारत में अधिकृत एजेन्टों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत शुल्क) ले सकती है बशर्ते कि खराब हिस्से का पुनः निर्यात किया गया हो या नष्ट किया गया हो। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनिष्टीकरण लागू नहीं होगा।

6.18 ईओयू योजना से बहिर्गमन

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से, निर्यातोन्मुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। ऐसा बहिर्गमन उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा ।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिगर्मन, के समय उसे जुर्माना देना होगा ।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित एजेंसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पडेगी ।

(घ) 'ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों के लिए अनुमेय, मौजूदा ई पी सी जी स्कीम के तहत पूँजीगत माल पर शुल्क का भुगतान करके विकास आयुक्त द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है । यह ई ओ यू स्कीम के तहत सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा मानदण्ड की पूर्ति, ई पी सी जी स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा ।'

(ड.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा । यूनिट डिबांडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा । सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टि करेंगें । शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात युनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से "बेबाकी प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी "बेबाकी प्रमाण-पत्र'' के आधार पर यूनिट अन्तिम रुप से डिबांडिग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबांडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए अन्तिम डिबांडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगी। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी ई पी बी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं यदि गणना और देय राशि विवादास्पद है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डिबान्डिंग के पश्चात डी टी ए में ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार जहाँ ई पी सी जी योजना के तहत डी टी ए यूनिट ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूँजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूँजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(छ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रुप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है । यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा ।

(ज) कच्चे माल, पूंजीगत माल इत्यादि की अधिप्राप्ति के संबंध में कोई शुल्क लाभ न लेने वाली एसटीपी/ईएचटीपी इकाई का अनुबंध तोड़ने/बाहर करने के लिए त्वरित (फास्ट ट्रेक) सुविधा देने हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है।

6.19 परिवर्तन

(क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

6.20 एन एफ ई की निगरानी

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

6.21 प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/ विदेश में शो-रुमों/ शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को निम्नलिखित की अनुमति हैः

(i) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।

(ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य वस्तुओं

को व्यक्तिगत रुप से लाना/ले जाना ।

(iii) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए माल का निर्यात करना ।

(iv) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/ एजेन्टों के शो रुम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात करना ।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शोरुम/खुदरा दुकानों की स्थापना करना ।

6.22 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रुप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाईयों के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात/निर्यात व्यक्तिगत रुप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों । भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ई ओ यू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत ढुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रुप में सोने का आयात कर सकता है।

6.23 डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/आयात

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

6.24 ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्तियाँ

ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त की शक्तियों का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है।

6.25 रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है।

6.26 ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन

ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति विकास आयुक्त के बजाए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अन्तरमंत्रालयीय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।

6.27 बी टी पी का अनुमोदन

जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए । बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी ।

6.28 गोदाम सुविधा

ऐसी निर्यात दायित्व इकाई जो अपने इओयू परिसर से बाहर और विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर निर्यात के पत्तन के निकट स्थान पर गोदाम की सुविधाएं स्थापित करना चाहती है जिसमें विदेशों में माल की सुपुर्दगी में कम समय लगे तथा जिससे आपूर्ति करने के आदेशों की अनिश्चितता का समाधान किया जा सके, इस संबंध में इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्यात गोदाम स्थापित करने संबंधी प्रावधान हों।

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.00 उद्देश्य

कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए, में घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना।

7.01 मान्य निर्यात

"मान्य निर्यात" का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्तित माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियो के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है । निम्नलिखित पैरागाफ 7.03 में यथा उल्लिखित माल की आपूर्ति 'मान्य निर्यात' के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि माल का भारत में विनिर्माण हुआ हो ।

7.02 आपूर्ति की श्रेणियाँ

एक विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों (क) से (घ) और मुख्य/उप-ठेकेदार द्वारा श्रेणियों (ड.) से (ज) के तहत माल की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' माना जाएगा।

क. विनिर्माता द्वारा आपूर्ति:

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के अधीन माल की आपूर्ति;

(ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू)/साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एसटीपी)/ इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क (ई एच टी पी)/बायोटैक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) को माल की आपूर्ति।

(ग) ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के अधीन पूंजीगत माल की आपूर्ति ।

(घ) 100 प्रतिशत ईओयू(घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो;

ख. मुख्य/उप-ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति

(ड.) (i) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जहाँ पर विधिक समझौते सीमाशुल्क को शामिल किए बगैर निविदा मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

(ii) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल और उपस्करों (टर्नकी संविदाओं के लिए एकल उत्तरदायित्व) की आपूर्ति और संस्थापन जिनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हों और विदेशों में विनिर्मित माल के लिए सुपुर्दगी पर चुकाया गया शुल्क (डीडीपी) के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

(iii) आपूर्तियाँ उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के तहत इस पैराग्राफ मे शामिल होंगी।

(iv) इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों मान्य निर्यात लाभ के लिए सूची **परिशिष्ट 7क** में दी गई है।

च)(i) किसी परियोजना अथवा किसी प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति जिसके लिए समय-समय पर यथासंशोधित 17.3.12 की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क द्वारा वित्त मंत्रालय उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देता है। मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आईसीबी की प्रक्रिया के तहत आपूर्ति की जाती है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.03.2012 की राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 12/2012 की क्रम सं0 507 पर सूची 32क में यथाविनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक माल की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ की पात्र होंगी बशर्ते कि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो।

(iii) यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से सम्बद्ध किया गया हो अथवा यदि परियोजना प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा दी गयी हो तो मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए आईसीबी शर्त अनिवार्य नहीं होगी।

(छ) संयुक्त राष्ट्र को या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उनके सरकारी उपयोग के लिए माल की आपूर्ति अथवा उक्त संयुक्त राष्ट्र या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति। ऐसे संगठन और ऐसी आपूर्तियों के लिए लागू शर्तों की सूची समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक

28.08.1995 की उत्पाद-शुल्क अधिसूचना सं0 108/95 सीई में दी गई है। इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की एक सूची परिशिष्ट-7ख में दी गई है।

(ज) परमाणु विद्युत परियोजनाओं को प्रदत्त माल की आपूर्तिः

(i) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.03.2012 की अधिसूचना सं0 12/2012 सीमाशुल्क की क्रम सं0 511 की सूची 33 में यथा विनिर्दिष्ट किसी परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए ऐसे माल की आवश्यकता होती है।

(ii) परियोजना की 440 मे0वा0 या उससे अधिक क्षमता होनी चाहिए।

(iii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक है जो परमाणु उर्जा विभाग में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(iv) निविदा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली एनसीबी या आईसीबी के द्वारा आमंत्रित की जाती है।

7.03 मान्य निर्यात के लिए लाभ

प्रक्रिया पुस्तक और एएनएफ-7 में दी गयी शर्तों के अनुसार मान्य निर्यात के रुप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित में से कोई/सभी लाभ दिए जाएंगे :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए

(ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।

(ग) यदि छूट उपलब्ध न हो तो अंतिम उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

7.04 आपूर्तिकर्त्ता/प्राप्तकर्त्ता का लाभ

	पैरा 2 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियॉ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो		
		पैरा 7.03(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र	**पैरा 7.03(ख) शुल्क वापसी**	**पैरा 7.03(ग) अंतिम उत्पाद शुल्क**
	(क)	हाँ (अमान्यकरण पत्र के अधीन अंतरवर्ती आपूर्तियों के लिए)	हाँ (एआरओ अथवा बैक टू बैक साख पत्र के मद्दे)	(i) अमान्यकरण पत्र के मामलों में छूट (ii) एआरओ बैक टू बैंक साख पत्र के मामलों में वापसी (iii) डीएफआईए को चूंकि सीवीडी छूट

	पैरा 2 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियॉ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो		
				प्राप्त नहीं है के अधीन आपूर्ति कोई छूट/वापसी नहीं
	(ख)	हाँ	हाँ	छूट
	(ग)	हाँ	हाँ	वापसी
	(घ)	नहीं	हाँ	वापसी
	(ड.)	हाँ	हाँ	छूट
	(च)	हाँ	हाँ	छूट, यदि आपूर्ति आईसीबी के तहत हो। वापसी, यदि आपूर्ति प्रशुल्क आधारित प्रति-स्पर्धात्मक बोली के तहत हो
	(झ)	हाँ	हाँ	छूट
	(ज)	हाँ	हाँ	वापसी

7.05 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी/ड्राबैक के लिए शर्त

(i) माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ग) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्त्ता ने ऐसे माल पर सेन वैट क्रेडिट/ छूट प्राप्त न की हो।

(ii) तथापि, माल की आपूर्ति जो कि प्रारंभ से ही अंतिम उत्पाद शुल्क की अदायगी से मुक्त है, टीईडी की शुल्क वापसी प्राप्त करने की पात्र नहीं रहेगी। टीईडी से छूट निम्नलिखित को प्राप्त होगीः-

(क) आईसीबी के तहत आपूर्तियाँ;

(ख) एक प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा अन्य प्राधिकार-पत्र धारक को अवैधीकरण-पत्र के अधीन की गई अन्तरवर्ती माल की आपूर्तियां

(ग) डीटीए की एक यूनिट से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा प्राप्त किया गया माल।

(घ) यूएन/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति।

7.06 मान्य निर्यात वापसी की वापसी के लिए शर्तें

आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं :

(क) माल आपूर्तिकर्ता द्वारा निविष्टियों/निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट प्राप्त न किए जाने की स्थिति में शुल्क वापसी अनुसूची की समग्र उद्योग दर के कॉलम 'क' के अनुसार लाभ स्वीकार्य होगा।

(ख) यदि माल आपूर्तिकर्ता द्वारा निविष्टियों/निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट/ छूट प्राप्त की गई हो, तो शुल्क वापसी अनुसूची की समग्र उद्योग दर के कॉलम ख के अनुसार कोई शुल्क वापसी स्वीकार्य नहीं होगी। तथापि ऐसे मामलों में भुगतान किया गया मूल सीमाशुल्क का दावा शुल्क वापसी की ब्रांड दर के रूप में किया जा सकता है जो शुल्क के वास्तविक भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजों के आधार पर होगा।

7.07 मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें

(i) पैरा 7.02 में सूचीबद्ध कम्पनियों को आपूर्ति सीधे की जाएगी। तृतीय पक्षकार की आपूर्ति लाभ/छूट हेतु पात्र नहीं होगी।

(ii) सभी मामलों में, आपूर्ति सीधी नामोदिष्ट परियोजनाओं/ एजेंसियों/इकाइयों/अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को की जाएगी। उप संविदाकार, तथापि, नामोदिष्ट परियोजना/ एजेंसियों के बजाए मुख्य संविदाकार को सीधे आपूर्ति कर सकता है। ऐसे मामलों में भुगतान मुख्य-संविदाकार द्वारा उप-संविदाकार को किया जाएगा न कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा।

(iii) किसी भारतीय उप-संविदाकार द्वारा किसी भारतीय अथवा विदेशी मुख्य संविदाकार को नामोदिष्ट परियोजनाओं/एजेंसियों की साइट के लिए स्वदेशी विनिर्मित माल की आपूर्ति मानद निर्यात लाभ के लिए भी पात्र होगी बशर्ते उप-संविदाकार का नाम मुख्य संविदा में या तो मूल रूप से अथवा बाद में (परन्तु ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख के पहले) दर्शाया गया हो।

7.08 विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ

(i) मानद निर्यात लाभ केवल पैरा 7.02(ड.) के तहत 'सीमेंट' की आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

(ii) मानद निर्यात लाभ 'इस्पात' की आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध होगा ;

(क) अग्रिम प्राधिकरण/वार्षिक अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए धारक/ईओयू संबंधी निविष्टियों के रूप में।

(ख) उप-पैरा 7.02(ड.) के अनुसार बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधि पोषित एजेंसियों को।

(iii) **'ईधन'** की आपूर्ति करने पर मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होगा आपूर्ति निम्नलिखित को की जाएः

(क) विदेश व्यापार नीति का पैरा 7.03(च) के क्रम सं0 356, 358 से 360 के अंतर्गत तथा इसमें शामिल सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं0 12/2012-सीयूएस दिनांक 17.3.2012 में पेट्रोलियम प्रचालन हेतु सूचीबद्ध परियोजनाएं

(ख) ई ओ यू;

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक

7.09 ब्याज का दायित्व

अपूर्ण/अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा बशर्ते क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान नहीं किया गया हो।

7.10 जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र

क) एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक माह कम्प्यूटर सिस्टम यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए 10 मामलों का चयन करेगा जहाँ पर इस अध्याय के लिए लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। सभी मण्डलों के मण्डलीय अपर महानिदेशक के कार्यालय में संयुक्त महानिदशक विदेश व्यापार की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी। टीम न केवल अपने कार्यालय के ऑडिट के लिए उत्तरदायी होगी अपितु मण्डल के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों के दावों की भी उत्तरदायी होगी।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी भी किसी मामले की आंतरिक लेखा परीक्षा/बाह्य लेखा परीक्षा अभिकरण/अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा अपनी ओर से स्वयं पुनः आकलन कर सकता है, जिसमें कोई दोषपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। क्षेत्रीय अधिकारी वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7.11 दण्डनीय कार्रवाई

यदि दावे को तथ्यों की गलत घोषणा/गलत बयानी के साथ दायर किया गया है तो ऊपर पैरा 7.10(ख) के तहत वसूली किए जाने के अतिरिक्त आवेदक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों इसके नियमों और आदेशों के तहत दण्डनीय कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय - 8

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

8.00 उद्देश्य

निर्यातकों को निर्यात के संवर्धन हेतु विदेश में देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। विदेशी खरीदारों के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा जब भी कोई शिकायत अथवा व्यापार संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, तो सौहार्दपूर्ण तरीके से यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाना होता है। आयातकों को भी कई शिकायतें हो सकती हैं।

ऐसी शिकायतों या व्यापार संबंधी विवादों के निपटान हेतु प्रयास के रूप में और देश के व्यापारिक माहौल में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे ऐसी शिकायतों और विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके।

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाए:
(क) भारत के निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के संबंध में विदेशी खरीदारों से प्राप्त शिकायतें।

(ख) आपूर्ति किए गए उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध आयातकों की शिकायतें; तथा

(ग) अनैतिक वाणिज्यिक सौदे संबंधी ऐसी शिकायतें जिन्हें मुख्यतः इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है, जैसे आदेश की पुष्टि के पश्चात् माल की आपूर्ति न किया जाना/आंशिक आपूर्ति, जिस माल पर सहमति हुई है, उससे भिन्न माल की आपूर्ति, भुगतान न किया जाना, सुपुर्दगी अनुसूचियों का पालन न किया जाना आदि।

8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व

(क) विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम 11 में अपेक्षित है कि किसी माल के किसी सीमाशुल्क पत्तन में आयात होने अथवा वहाँ से निर्यात होने पर चाहे वह शुल्क के लिए दायी हो अथवा नहीं, इस माल का स्वामी प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज पर माल का मूल्य, मात्रा और विवरण अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करेगा तथा माल के निर्यात की स्थिति में यह प्रमाणित करेगा कि माल की गुणवत्ता और विनिर्देश जैसा कि दस्तावेजों में वर्णित है, खरीदार अथवा परेषिती के साथ की गई निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार है तथा उसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है। तथा इस कथन की सच्चाई की घोषणा

प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा किसी अन्य दस्तावेज में करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन होने पर निर्यातक दांडिक कर्रवाई हेतु दायी होगा।

(ख) कतिपय निर्यात वस्तुओं को उनके निर्यात से पूर्व अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान-पूर्व निरीक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। 1984 में यथासंशोधित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत ऐसे निर्यातक जो इन मानकों तथा/अथवा अधिनियम के इन उत्पादों के लिए यथा निर्धारित उपबंधों का पालन नहीं करते हैं, के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

8.03 चूककर्ता निर्यातकों/ आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली में प्रावधान

यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के तहत चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो निम्नानुसार हैः

(क) अधिनियम की धारा 8 में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उसमें दिए गए कारणों के लिए आयातक/ निर्यातक कोड सं0 को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ख) अधिनियम की धारा 9(2) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए वित्तीय या आर्थिक लाभ देने वाले लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज देने या नवीकरण करने से मना करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) धारा 9(4) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए आर्थिक या वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(घ) अधिनियम की धारा 11(2) में उन मामलों में वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान है जिनमें कोई व्यक्ति अधिनियम, नियमावली या उसके अन्तर्गित दिए गए आदेश अथवा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का उल्लघंन करके आयात या निर्यात करता है या उसको बढ़ावा देता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।

8.04 शिकायतों/विवादों की निगरानी हेतु तंत्र

(क) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी)

शिकायतों और विवादों की बढ़ रही संख्या को प्रभावी रूप से निपटारा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति' (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा।

(ख) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति का गठन

विदेश व्यापार माहनिदेशालय के प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा और यह गठन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति के कार्य

यह समिति (सीक्यूसीटीडी) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाली गुण वत्ता संबंधी शिकायतों तथा व्यापार संबंधी अन्य शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए जिम्मेवार होगी। यह समिति शिकायत मिलने के अधिमानतः तीन महीने के भीतर आयातकों, निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं की शिकायतों का निपटारा और समाधान करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति(सीक्यूसीटीडी) निर्यात संवर्धन परिषदों/फियो/ पण्य बोर्डों या किसी अन्य एजेंसी जोकि इन विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक हो, की सहायता ले सकती है।

8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्रवाई

गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति की कार्यवाही केवल समाधान स्वरूप की है और पीड़ित पक्ष चाहे विदेशी क्रेता हो या भारतीय आयातक हो, अन्य चूककर्ता पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया

ऐसी शिकायतों या व्यापार विवादों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा ऐसी गुणवत्ता शिकायतों और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक मे दी गई है।

8.07 सुधारात्मक उपाय

क्षेत्रीय प्राधिकरण स्तर की समिति यह मूल्यांकन करने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी या किसी तकनीकी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है कि मानकों, विनिर्माण/ डिजाइन खामियों आदि जिसके लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं, को पूरा नहीं करने में कोई तकनीकी असफलता रही है या नहीं।

8.08 नोडल अधिकारी

महानिदेशक, विदेश व्यापार विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यालय में कम से कम संयुक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त करेंगे ।

अध्याय - 9

परिभाषाएं

9.00 विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगेः-

9.01 ''उपांग'' या ''संलग्नी'' का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है ।

9.02 ''अधिनियम'' का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट) ।

9.03 ''वास्तविक प्रयोक्ता'' का अर्थ है उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो अपने परिसर में आयातित माल के उपयोग के लिए प्राधिकृत है जिसका कोई स्थायी डाक पता हो।

''वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक)'' का अर्थ उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा जाबिंग यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है जिसका स्थायी डाक पता हो।

"वास्तविक प्रयोक्ता (गैर-औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता होः-

(i) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, जिसका स्थायी डाक पता हो; या

(ii) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, जिसका स्थायी डाक पता हो; या

(iii) अन्य सेवा उद्योग जिसका स्थायी डाक पता हो,

''ए ई जैड'' का अर्थ है परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्र के

9.04 परिशिष्ट 2फ में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।

9.05 ''अपील'' वह आवेदन है जो कि अधिनियम के खण्ड 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वे आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जमा किए जाते हैं ।

9.06 ''आवेदक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।

9.07 ''प्राधिकार-पत्र'' का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि अधिनियम के भाग 2(छ) में बताया गया है।

9.08 ''पूंजीगत माल'' का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है । इसमें पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रशीतन उपकरण, उर्जा सृजित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, परीक्षण, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं ।

पूंजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।

9.09 ''सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो ।

9.10 ''संघटक'' का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए । संघटक में दूसरे संघटक के उपषंगी या उपकरण भी शामिल हैं ।

9.11 ''उपभोज्य'' का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।

9.12 ''उपभोक्ता माल'' का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।

9.13 ''प्रतिसंतुलन व्यापार'' (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो ।

''प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड)'' के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमति एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यात और आयात का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रुप में हो सकता है ।

9.14 **"**विकासकर्ता**"** का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।

9.15 ''विकास आयुक्त'' का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त ।

9.16 ''घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र'' (डीटीए) का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है ।

9.17 ''मान्य निर्यात पर शुल्क वापसी'' का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में, किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। माल में अयातित कलपुर्जे शामिल हैं यदि भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आपूर्ति की गई है ।

9.18 ''ई.ओ.यू.'' का अर्थ है निर्यातोन्मुखी एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो ।

9.19 ''उत्पाद शुल्क देय माल'' का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो ।

9.20 समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथा-परिभाषित 'निर्यात'

9.21 **"निर्यातक"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है,या निर्यात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो।

9.22 निर्यात दायित्व का अर्थ हैः- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पाद का क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।

9.23 मदों के लिए आयात/निर्यात के संदर्भ में आने वाले ''मुक्त'' से तात्पर्य है माल जिसे देश में आयात किए जाने अथवा देश से निर्यात किये जाने के लिए किसी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

9.24 ''विदेश व्यापार नीति'' से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है ।

9.25 समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथापरिभाषित ''आयात''

9.26 ''आयातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो ।

9.27 ''आई टी सी (एच एस)'' का अर्थ निर्यात और आयात मदों के 8 अंकों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है ।

9.28 ''जाबिंग'' का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरुप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरुरी हो ।

9.29 ''लाइसेंसिंग वर्ष'' का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।

9.30 ''प्रबंधित होटल'' से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र को आवश्यक रुप से शामिल किया जायेगा।

9.31 ''विनिर्माण'' का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथ वा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, री-कन्डीशनिंग, मरम्मत, री-मेकिंग, री-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन री-इन्जीनिरिंग।

विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं ।

9.32 ''विनिर्माता निर्यातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।

9.33 ''व्यापारी निर्यातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।

9.34 ''एन सी'' का अर्थ उन मामलों में जहाँ पर सिओन मौजूद नहीं है और विदेश व्यापार महानिदेशालय में अधिसूचित किए जाने के लिए सिओन की सिफारिश करते हैं, तदर्थ निविष्टि-उत्पादन मानदंड के अनुमोदन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदंड समिति से है ।

9.35 ''अधिसूचना'' का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

9.36 ''आदेश'' का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।

9.37 ''पुर्जे'' का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो । पुर्जा एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है ।

9.38 ''व्यक्ति'' का अर्थ है कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, निगम अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित

अन्य कोई वैध व्यक्ति ।

9.39 ''नीति'' का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) ।

9.40 ''निर्धारित'' का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है ।

9.41 ''प्रतिबंधित'' आईटीसी(एचएस) में अथवा अन्यत्र आने वाली किसी मद की आयात/निर्यात नीति को दर्शाता है, जिसका आयात/निर्यात अनुमत नहीं है।

9.42 ''सार्वजनिक सूचना'' का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.04 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है ।

9.43 ''कोटा'' से तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार के माल की मात्रा जिसे अतिरिक्त शुल्क लगाए बगैर अथवा प्रतिबंधों के बगैर आयात करने के लिए अनुमत किया गया हो।

9.44 ''कच्ची सामग्री'' का अर्थ हैः मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है। ये सामग्री कच्ची/प्राकृतिक/ अपरिष्कृत/अविनिर्मित अथवा विनिर्मित अवस्था में हो सकती हैं।

9.45 ''क्षेत्रीय प्राधिकारी'' का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ।

9.46 ''पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र'' (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।

9.47 ''प्रतिबंधित'' एक मद के आयात अथवा निर्यात नीति को दर्शाने वाला एक पद है, जिसे केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालयों से एक प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद देश में

आयात अथवा देश से बाहर निर्यात किया जा सकता है।

9.48 ''नियमों'' का अर्थ है एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।

9.49 ''स्कोमेट'' विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, पदार्थों, उपस्करों और प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोग की मदों के लिए नामकरण है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे प्रयोग की मदों और प्रौद्योगिकियों का निर्यात विनियमित है। यह प्राधिकार-पत्र के तहत या तो प्रतिबंधित है या अनुमत है।

9.50 ''सेवाओं'' में, सेवाओ के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।

9.51 ''सेवा प्रदाता'' का अर्थ है वह व्यक्ति जोः-

(i) भारत से किसी और देश के लिए "सेवा" प्रदान करता है, (विधि 1-सीमा पार व्यापार)

(ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई ''सेवा'' की आपूर्ति करता है, (विधि 2-विदेश व्यापार खपत)

(iii) भारत से किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है। (विधि 3-वाणिज्यिक उपस्थिति)

(iv) भारत में वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से किसी अन्य देश में ''सेवा'' की आपर्ति (विधि 4-वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति)

9.52 ''शिप'' का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।

9.53 ''सिओन'' का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों से है ।

9.54 ''स्पेयर्स'' का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।

9.55 ''विनिर्दिष्ट''का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।

9.56 ''स्तर धारक'' का आशय उस निर्यातक से है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक/विकास आयुक्त ने निर्यात सदन/दो सितारा व्यापार सदन /तीन सितारा व्यापार सदन/चार सितारा व्यापार सदन/पाँच सितारा व्यापार सदन के रुप में मान्यता दी है ।

9.57 ''भंडार'' से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपस्करों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो ।

9.58 (क) ''सहायक विनिर्माता'' वह व्यक्ति है जो एक विशिष्ट प्राधिकार-पत्र के तहत व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक के लिए माल/उत्पाद या माल/उत्पाद के किसी हिस्से/उपषंगी/ पुर्जो का विनिर्माण करता है।

(ख) ईपीसीजी स्कीम के लिए ''सहायक विनिर्माता'' ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रांगण/फैक्टरी में ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत पूंजीगत माल आयात/प्राप्त किया जाता है।

9.59 विदेश व्यापार नीति के प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई), वे इकाईयाँ हैं जिन्हें विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 (क) के अनुसार निर्यात और/अथवा आयात के विशिष्ट अधिकार/विशेष अधिकार प्रदान किए गए हों।

9.60 ''तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात'' का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात।

ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा। बैंक वसूली प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रपत्र, निर्यात आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए ।

9.61 ''सौदा मूल्य'' की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में यथा परिभाषित की गई है ।

9.62 ''वन्य प्राणी'' का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में यथा परिभाषित है ।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णाक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआरई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
एईओ	प्राधिकृत इकानामिक ऑपरेटर
एईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोगकर्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र

सीजी	पूंजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	संम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	काऊंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रानिक बैक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईईसी	इलेक्ट्रानिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	इलेक्ट्रानिक-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रानिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण

ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गांरटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएमजी	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊ टसोर्सिग
एक्जिम	निर्यात आयात
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी(आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएण्डजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड

आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईएईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	आंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	क्रेडिट का पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रैप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिग सुनवाई

पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	रुपये अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूटस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत स्कीम से सेवा निर्यात
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार क्षेत्र
एसयूवी	स्पोर्टर्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता क्रियाकलाप